"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छल्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 488]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर 2024 — भाद्रपद 12, श्रक 1946

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर दिनांक 23 अगस्त 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3—8/2018/38—2.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 966/प्र.परि./प्र.अ./2016/20491, दिनांक 26—07—2024 द्वारा श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, शदानी दरबार के पास, ग्राम—धनेली, पोस्ट ऑफिस—माना, धमतरी रोड, तहसील एवं जिला—रायपुर (छत्तीसगढ़) के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 136 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29 (2) के तहत् किया गया है।

- राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेश को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।
- उपरोक्त अध्यादेश 1 जुलाई, 2024 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. आर.पी. पाण्डेय, उप-सचिव.

श्री रावतपुरा सस्कार यूनिवर्सिटी, रायपुर



SHRI RAWATPURA SARKAR UNIVERSITY, RAIPUR

अध्यादेश क्रमांक: 136

इस अध्यादेश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूजीसी, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, रनातक और रनातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए अध्यादेश कहा जाएगा, सिवाय बीसीआई, पीसीआई, एमसीआई, आईसीएआर या किसी विशिष्ट कार्यक्रम से संबंधित किसी अन्य नियामक निकाय द्वारा शासित/विनियमित/अनुमोदित कार्यक्रमों के।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- 1.1 अध्यादेश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूजीसी, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार सभी प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए अध्यादेश कहा जाएगा, सिवाय बीसीआई, पीसीआई, एमसीआई, आईसीएआर या किसी विशिष्ट कार्यक्रम से संबंधित किसी अन्य नियामक निकाय द्वारा शासित/विनियमित/अनुमोदित को छोडकर।
- 1.2 यह अध्यादेश शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू होगा।
- 1.3 अध्यादेश का प्रावधान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़ के परिनियम संख्या 12 (2018) एवं इसके संशोधन (2022) के अनुसार अनुमोदित तीन वर्षीय (छह सेमेस्टर) स्नातक डिग्री या चार वर्षीय (आठ सेमेस्टर) स्नातक डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च के साथ ऑनर्स), एक वर्षीय /दो वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम पर लागू होगा, सिवाय बीसीआई, पीसीआई, एमसीआई, आईसीएआर या किसी विशिष्ट कार्यक्रम से संबंधित किसी अन्य नियामक संस्था द्वारा शासित/विनियमित/अनुमोदित को छोड़कर ।

क्रम	संकाय	पाठ्यक्रम
1.	विज्ञान संकाय (Faculty of Science)	B.Sc, M.Sc, BCA, PGDCA, MCA B.Sc & M.Sc in Yoga & Naturopathy, Ph.D
2.	प्रवंधन संकाय (Faculty of Management)	BBA, PGDM, MBA, Ph.D
3.	वाणिज्य संकाय (Faculty of Commerce)	B.COM, M.COM, Ph.D
4.	अभियांत्रिकी संकाय (Faculty of Engineering)	Diploma, B.Tech, M.Tech, Architecture, Urban & Town Planning, Ph.D
5.	कला संकाय (Faculty of Arts)	BA, MA, B.Lib, M.Lib, BSW, MSW BA & MA in Yoga & Naturopathy,, Sanskrit- Shashtri, Achary Ph.D
6.	होटल प्रबंधन संकाय (Faculty of Hotel Management)	ВНМСТ

7.	फैशन डिजाईन संकाय (Faculty of Fashion Design)	Fashion Design: BA, B.Sc, MA, M.Sc Interior Design: BA, B.Sc, MA, M.Sc, Ph.D
08.	शिक्षा संकाय (Faculty of Education/ Teaches Education)	ITEP (4Year)- BA.Bed, B.Sc B.Ed, B.COM B.Ed, BPES, MPES
09.	पुनर्वास विज्ञान संकाय (Faculty of Rehabilitation Sciences)	Special Education- D.El.Ed, B.Ed
10.	ललित एवं प्रदर्शन कला संकाय (Faculty of Fine Arts/ Performing Arts)	BFA (Bachelor of Fine Arts) MFA (Master of Fine Arts) BVA (Bachelor of Visual Arts) MVA (Master of Visual Arts) BPA (Bachelor of Performing Arts) MPA Master of Performing Arts
11.	पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय (Faculty of Journalism / Mass Communication / Media)	BJ, MJ, BAJMC, MAJMC, BJMC, MJMC Multimedia, Media Management
12.	व्यावसायिक एवं कौशल विकास संकाय (Faculty of Vocational Education / Skill Development)	Certificate Courses as per approval by the University under statute 12 and its amendment.

2. परिभाषा एवं मुख्य शब्द

- 2.1 "अधिनियम" का तात्पर्य छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 एवं उसके बाद के संशोधनों से है।
- 2.2 "विश्वविद्यालय" का अर्थ है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 के तहत स्थापित श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 2.3 "छात्र" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, रायपुर, द्वारा समय-समय पर स्नातकध्स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठचक्रमों में प्रवेश के लिए तय की गई प्रक्रिया के अनुसार इस विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश दिया गया है।
- 2.4 "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस)" का तात्पर्य एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों को यूजीसी / संबंधित नियामक निकाय द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार निर्धारित पाठचक्रमों (कोर कोर्स, अनिवार्य पाठचक्रम, प्रोफेशनल कोर प्रोफेशनल इलेक्टिव.

- ओपन इलेक्टिव, माइनर ट्रैक, वैल्यू एडेड, स्किल एन्हांसमेंट कोर्स आदि) में से चुनने का विकल्प प्रदान करता है। जहाँ भी लागू हो और विश्वविद्यालय के उपयुक्त निकायों द्वारा अनुमोदित हो।
- 2.5 "पाठचक्रम" का अर्थ वितरण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से "पेपर" से है तथा यह किसी कार्यक्रम का एक घटक है, जैसा कि संबंधित कार्यक्रम संरचना में विस्तृत रूप से बताया गया है।
- 2.6 "क्रेडिट प्वाइंट" का अर्थ किसी पाठचक्रम के लिए ग्रेड प्वाइंट और क्रेडिट की संख्या का उत्पाद है।
- 2.7 "क्रेडिट" का अर्थ है एक इकाई जिसके द्वारा कोर्स वर्क को मापा जाता है। यह प्रति सप्ताह आवश्यक निर्देशों के घंटों की संख्या निर्धारित करता है। एक क्रेडिट प्रति सप्ताह एक घंटे की पढ़ाई (व्याख्यान, ट्यूटोरियल या सेमिनार) या प्रति सप्ताह दो घंटे के व्यावहारिक कार्य/क्षेत्र कार्य/प्रोजेक्ट आदि के बराबर होता है। प्रत्येक कोर्स के लिए क्रेडिट की संख्या संबंधित परीक्षा योजना में परिभाषित की जाएगी।
- 2.8 "संचयी ग्रेंड प्वाइंट औसत (सीजीपीए)" का अर्थ है सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र संचयी प्रदर्शन का माप। ब्बच्ध संबंधित सेमेस्टर तक पंजीकृत विभिन्न पाठचक्रमों में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट पॉइंट और संबंधित सेमेस्टर में सभी पंजीकृत पाठचक्रमों के कुल क्रेडिट पॉइंट के योग का अनुपात है। इसे दो दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया जाएगा।
- 2.9 "सेमस्टर ग्रेंड पॉइंट एवरेज (एसजीपीए)" का अर्थ है किसी विशेष सेमेस्टर में छात्र के प्रदर्शन का माप। यह एक सेमेस्टर में पंजीकृत विभिन्न पाठचक्रमों में छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट अंकों और उस सेमेस्टर में सभी पाठचक्रमों के कुल क्रेडिट का अनुपात है। इसे दो दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया जाएगा।
- 2.10"ग्रेडवाइंट" का अर्थ है 10-पॉइंट स्केल पर या समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक अक्षर ग्रेड के लिए आवंटित संख्यात्मक भार।
- 2.11"लेटर ग्रेंड" का अर्थ किसी पाठचक्रम में छात्रों के प्रदर्शन का सूचकांक है। ग्रेंड को O, A+, A, B+, B, C, P" और F अक्षरों से दर्शाया जाता है। का अर्थ है किसी पाठचक्रम में छात्रों के प्रदर्शन का सूचकांक। ग्रेंड को O, A+, A, B+, B, C, P, F और AB अक्षरों से दर्शाया जाता है।
- 2.12"सेमेस्टर" का अर्थ 12—15 सप्ताह के शिक्षण कार्य में फैला एक शैक्षणिक सन्न है। विषम सेमेस्टर आमतौर पर जुलाई से दिसंबर तक और सम सेमेस्टर जनवरी से जून तक निर्धारित किया जा सकता है।
- 2.13"ग्रेड शीट" का अर्थ अर्जित ग्रेड के आधार पर एक प्रमाण पत्र है। प्रत्येक सेमेस्टर के बाद परीक्षा के लिए पंजीकृत सभी छात्रों को ग्रेड शीट जारी की जाएगी। ग्रेड शीट में पाठचक्रम विवरण (कोड, शीर्षक, क्रेडिट की संख्या, ग्रेड सुरक्षित) के साथ-साथ सेमेस्टर का एसजीपीए और उस सेमेस्टर तक अर्जित सीजीपीए शामिल होगा। अंतिम सेमेस्टर ग्रेड शीट में आवंटित अधिकतम अंकों में से सभी सेमेस्टर में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का संचयी योग भी प्रतिबिंबित होगा, जिसके लिए पाठचक्रम के ग्रेड का मूल्यांकन किया गया था। हालाँकि, अंतिम परिणाम ग्रेड/सीजीपीए पर आधारित होगा।
- 2.14"प्रतिलेख" का अर्थ पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद पाठ्यक्रम में सभी नामांकित छात्रों को जारी किया गया प्रमाण पत्र है। इसमें सभी सेमेस्टर का एसजीपीए और सीजीपीए शामिल है।
- 2.15"एनईपी" का मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 है।
- 2.16"एनएसक्यूएफ"का अर्थ एनईपी 2020 में परिभाषित राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा है।
- 2.17"एनएचईक्यूएफ" का अर्थ एनईपी 2020 में पिरभाषित "एनएचईक्यूएफ" राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा है।

- 2.18"यूसीएफ" का अर्थ एनईपी 2020 में परिभाषित एकीकृत क्रेडिट स्तर है।
- 2.19"अंडरग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स" का अर्थ है वे छात्र जिन्होंने एनएचईक्यूएफ स्तर 5/यूसीएफ स्तर 4.5 की आवश्यकता पूरी कर ली है।
- 2.20"अंडरग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स" का अर्थ है वे छात्र जिन्होंने एनएचईक्यूएफ स्तर 5/यूसीएफ 6 की आवश्यकता पूरी कर ली है।
- 2.21"बैचलर डिग्री" का अर्थ है वे छात्र जिन्होंने एनएचईक्यूएफ स्तर 5.5 /यूसीएफ स्तर 7 की आवश्यकता पूरी कर ली है।
- 2.22"बैचलर डिग्री (ऑनर्स/रिसर्च)" का अर्थ है वे छात्र जिन्होंने एनएचईक्यूएफ स्तर 6/यूसीएफ स्तर 8 की आवश्यकता पूरी कर ली है।
- 2.23"पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स" 2-वर्षीय पीजी: 3-वर्षीय यूजी पाठचक्रम के बाद 2 वर्षीय पीजी में प्रवेश करने वाले छात्र या 1 वर्षीय पीजी : 4 वर्षीय यूजी कार्यक्रम के बाद 1 वर्षीय पीजी में प्रवेश करने वाले छात्र ऑनर्स/रिसर्च के साथ।
- 2.24"पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स" पीजी पाठचक्रम के लिए दो—वर्षीय पीजी पाठचक्रम में शामिल होने वालों के लिए केवल एक निकास बिंदु होगा। प्रथम वर्ष के अंत में बाहर निकलने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा से प्रदान किया जाएगा।
- 2.25"पाठ्यक्रम पंजीकरण" का तात्पर्य उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय में संकाय सलाहकार (जिसे संरक्षक, परामर्शदाता, कक्षा शिक्षक आदि भी कहा जाता है) की देखरेख में प्रत्येक छात्र द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर में अध्ययन के पाठ्यक्रमों में पंजीकरण को संदर्भित करता है।
- 2.26"पाठचक्रम मूल्यांकन" शिक्षण—सीखने प्रक्रिया की प्रक्रिया के प्रभाव के माप का प्रतिनिधित्व करता है और पाठचक्रमों और शिक्षण प्रदर्शन में सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक अवसर प्रदान करता है। पाठचक्रम मूल्यांकन परीक्षण, प्रश्नोत्तरी, असाइनमेंट इत्यादि जैसे विभिन्न तरीकों को अपनाकर शिक्षण—सीखने की अवधि के दौरान पाठचक्रम सामग्री के कुछ मॉडचूल या अध्यायों के अंत में और सेमेस्टर का अंत। जबिक मूल्यांकन के पूर्व भाग को सतत आंतरिक मूल्यांकन कहा जाता है और मूल्यांकन के बाद के भाग को अंतिम सेमेस्टर मूल्यांकन कहा जाता है।
- 2.27"क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम संरचना" प्रत्येक पाठ्यक्रम में क्रेडिट की एक निर्धारित संख्या होती हैं। क्रेडिट पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होते हैं, जिसमें शिक्षण मोड और व्याख्यान, ट्यूटोरियल और व्यावहारिक कक्षाओं के लिए संपर्क घंटों की संख्या शामिल है। क्रेडिट संपर्क घंटों की संख्या, पाठ्यक्रम सामग्री और शिक्षण पद्धति और आवंटित अधिकतम अंकों पर आधारित होते हैं। क्रेडिट विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे। क्रेडिट की गणना निम्नानुसार की जा सकती है:
 - 12-15 सप्ताह तक प्रति सप्ताह एक घंटे का सिद्धांत/ ट्यूटोरियल दो घंटे का प्रयोगशाला कार्य जिसके परिणामस्वरूप एक क्रेडिट प्रदान किया जाएगा।
 - इंटर्निशिप के लिए क्रेडिट प्रशिक्षण के प्रति सप्ताह एक क्रेडिट होगा, जो एक सेमेस्टर में अधिकतम छह क्रेडिट के अधीन होगा।
 - परियोजना/निबंध: 12-15 सप्ताह तक प्रति सप्ताह दो घंटे का परियोजना/अनुसंधान कार्य जिसके परिणामस्वरूप एक क्रेडिट प्रदान किया जाएगा।

- 2.28"एकेडिमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी)" एकेडिमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी). एक राष्ट्रीय स्तर की सुविधा है जो उचित "क्रेडिट ट्रांसफर" तंत्र के साथ देश में उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में छात्रों के पाठचक्रम ढांचे के लचीलेपन और अंत:विषय/बहुविषयक शैक्षणिक गतिशीलता को बढ़ावा देगी।
- 2.29"मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट" "मल्टीपल एंट्री -एग्जिट" का अर्थ है एचईआई में पेश किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में कई प्रविष्टियां और निकास बिंदु जो कठोर सीमाओं को हटा देंगे और छात्रों के लिए नई संभावनाएं पैदा करेंगे। ऐसे अवसर आते हैं जब विभिन्न कारणों से विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है। निर्धारित अवधि के मीतर लचीली शिक्षा की सुविधा के लिए. जरूरतमंद छात्रों को कई निकास और प्रवेश विकल्प दिए जाते हैं। छात्र केवल सम सेमेस्टर (दूसरे चौथे और छठे सेमेस्टर) के अंत में ही पाठचक्रम से बाहर निकल सकता है और छात्रों को विषम सेमेस्टर (तीसरे पांचवें और सातवें सेमेस्टर) की शुरुआत में प्रवेश का विकल्प प्रदान किया जाता है।

प्रवेश हेतु पात्रताः

- 3.1 इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम और दिशा—िनर्देश यूजीसी और राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार होंगे।
- 3.2 वह छात्र जिसने छत्तीसगढ़ माध्यिमक शिक्षा बोर्ड, छत्तीसगढ़ से ग्रेड 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है या राज्य और केंद्र सरकार और अन्य वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है या संबंधित नियामक निकाय द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता है, ऐसी स्थिति में इन स्नातक कार्यक्रमों के लिए बाद वाली शर्तें लागू होंगी।

सीटों की संख्या:

- 3.3 किसी कार्यक्रम में छात्र नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीटों तक ही सीमित होगा। किसी भी स्नातक कार्यक्रम को शुरू करने के लिए छात्रों की संख्या 60 होगी और स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए यह संख्या 40 होगी। आवंटित सीटों में वृद्धि मूल इकाई के गुणक होगी जिसे प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) से मान्य करने के उपरांत स्थापित किया जा सकता है।
- 3.4 इस अध्यादेश के प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता का निर्धारण पहले ही कर लिया जाएगा और यह शैक्षणिक सत्र 2024—25 से लागू होगी।
- 3.5 उपलब्ध रौक्षणिक और भौतिक सुविधाओं के आधार पर विश्वविद्यालय प्रथम डिग्री कार्यक्रम के दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष में पार्श्व प्रवेशकों के लिए कार्यक्रम के पिछले वर्ष के लिए स्वीकृत सीटों की अधिकतम 10 सीटें निर्धारित कर सकता है, यदि छात्रों ने किसी संस्थान में उसी कार्यक्रम के पहले वर्ष / दूसरे वर्ष / तीसरे वर्ष को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और सीजीपीयूआरसी को सूचना देकर पढ़ाई में ब्रेक के बाद कार्यक्रम में फिर से प्रवेश करना चाहता है।
- अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रवेश और अतिरिक्त सीटें
 - विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनके द्वारा धारित प्रवेश योग्यता की समतुल्यता के आधार पर प्रवेश दे सकता है। समतुल्यता का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या यूजीसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य निकाय या देश के संबंधित नियामक निकायों द्वारा किया जाना है। विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश देने के लिए पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया अपना सकता है।
 - विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर पाठचक्रमों के लिए स्वीकृत कुल नामांकन के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 25% तक अतिरिक्त सीटें बना सकता है। 25% अतिरिक्त सीटों के बारे में निर्णय संबंधित उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा बुनियादी ढांचे.

- संकाय और अन्य आवश्यकताओं पर विचार करते हुए नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए विशिष्ट दिशा—निर्देशों / विनियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।
- 3 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 25% अतिरिक्त सीटों में संस्थानों के बीच या भारत सरकार और अन्य देशों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से प्रस्तावित विनिमय कार्यक्रमों के तहत अंतर्राष्ट्रीय छात्र शामिल नहीं होंगे।
- 4 बुनियादी ढांचे और योग्य संकाय की उपलब्धता के आधार पर जहां भी संभव हो, इन 25: सीटों को उच्च शिक्षण संस्थान के सभी विभागों, स्कूलों, केंद्रों या किसी अन्य शैक्षणिक इकाई के बीच वितरित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- 5 स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही कार्यक्रमों में अतिरिक्त सीटें केवल अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए होंगी। अतिरिक्त श्रेणी में रिक्त रह गई सीट अंतरराष्ट्रीय छात्र के अतिरिक्त किसी अन्य को आवंटित नहीं की जाएगी। इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय छात्रों को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाएगा जिसके पास विदेशी पासपोर्ट होगा।
- 6 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अतिरिक्त सीटें बनाने के प्रावधान को समय-समय पर नियामक निकायों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों / नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के वैधानिक निकाय / निकायों के अनुमोदन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए।
- 3.7 राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय छात्रों द्वारा इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज (टीसी/सीसी/माइग्रेशन आदि) नियामक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार या प्रबंधन बोर्ड से पूर्व अनुमोदन के साथ अकादिमक परिषद द्वारा तय किए जाएंगे।
- 3.8 रौक्षणिक कार्यक्रमों में कई प्रवेश और निकास बिंदुओं को सक्षम करने के लिए. प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री जैसी योग्यताएं स्तर 4.5 से स्तर 6 तक बढ़ते क्रम में स्तरों की एक श्रृंखला में व्यवस्थित की जाती हैं। स्तर 4.5 प्रमाण पत्र का प्रतिनिधित्व करता है, स्तर 5 डिप्लोमा का प्रतिनिधित्व करता है, स्तर 5.5 स्नातक की डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए प्रवेश और निकास के विकल्प निम्नानुसार होंगे रू.
 - यूजी सिटिंफिकेट: जो छात्र पहले वर्ष की समाप्ति के बाद बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं और 40 क्रोडिट प्राप्त कर लेते हैं. उन्हें यूजी सिटिंफिकेट प्रदान किया जाएगा, यदि इसके अतिरिक्त, वे पहले वर्ष की गर्मी की छुट्टियों के दौरान 4 क्रेडिट का एक व्यावसायिक पाठचक्रम पूरा करते हैं। इन छात्रों को तीन वर्षों के भीतर डिग्री कार्यक्रम में पुनः प्रवेश करने और निर्धारित अधिकतम सात वर्षों की अवधि के भीतर डिग्री कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति हैं।
 - यूजी डिप्लोमा: जो छात्र दूसरे वर्ष की समाप्ति के बाद बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं और 80 क्रेडिट प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें यूजी डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, यदि इसके अतिरिक्त, वे दूसरे वर्ष की गर्मी की छुट्टियों के दौरान 4 क्रेडिट का एक व्यावसायिक पाठचक्रम पूरा करते हैं। इन छात्रों को तीन वर्षों की अवधि के भीतर पुनः प्रवेश करने और अधिकतम सात वर्षों की अवधि के भीतर डिग्री कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति है।
 - वर्षीय यूजी डिग्री: जो छात्र 3—वर्षीय यूजी कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने, 120 क्रेडिट प्राप्त करने और न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करने के बाद प्रमुख विषय में यूजी डिग्री प्रदान की जाएगी।
 - वर्षीय यूजी डिग्री (ऑनर्स) : प्रमुख विषयों में चार वर्षीय यूजी ऑनर्स डिग्री उन लोगों को प्रदान की जाएगी, जिन्होंने 160 क्रेडिट के साथ चार वर्षीय डिग्री प्रौग्राम पूरा किया है और तालिका 1 में दी गई क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा किया ळें
 - 4 वर्षीय यूजी डिग्री (रिसर्च के साथ ऑनर्स): जो छात्र पहले छह सेमेस्टर में 75: या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं और रनातक स्तर पर शोध करना चाहते हैं, वे चौथे वर्ष में शोध स्ट्रीम चुन सकते हैं। उन्हें विश्वविद्यालय के किसी संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में शोध परियोजना या शोध प्रबंध करना चाहिए। शोध परियोजनाध्शोध प्रबंध प्रमुख विषय में होना चाहिए। जो छात्र 160

क्रेडिट प्राप्त करते हैं, जिसमें एक शोध परियोजन/ध्शोध प्रबंध से 12 क्रेडिट शामिल हैं, उन्हें यूजी डिग्री (रिसर्च के साथ ऑनर्स) प्रदान की जाती है।

सिंगल मेजर के साथ यूजी खिग्री प्रोग्राम: एक छात्र को सिंगल मेजर के रूप में प्रदान की जाने वाली 3-वर्षीय/4-वर्षीय यूजी डिग्री के लिए प्रमुख विषय से न्यूनतम 50% क्रेडिट प्राप्त करना होगा।

डबल मेजर के साथ यूजी डिग्री प्रोग्राम: डबल मेजर प्राप्त करने के लिए छात्र को 3-वर्षीयध्4-वर्षीय यूजी डिग्री के लिए दूसरे प्रमुख विषय से न्यूनतम 40: क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।?

अंतर्विषयक यूजी कार्यक्रमः कोर पाठचक्रमों के क्रेडिट घटक विषयोंधविषयों के बीच वितरित किए जाएंगे ताकि अंतःविषयक कार्यक्रम में मुख्य योग्यता प्राप्त की जा सके।

बहुविषयक यूजी कार्यक्रम: बहुविषयक अध्ययन कार्यक्रम का अनुसरण करने वाले छात्रों के मामले में, कोर पाठचक्रमों के क्रेडिट व्यापक विषयों जैसे कि जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणितीय और कंप्यूटर विज्ञान, डेटा विश्लेषण, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, आदि के बीच वितरित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के वैधानिक निकाय जैसे अध्ययन बोर्ड और अकादमिक परिषद प्रमुख श्रेणी के तहत पाठचक्रमों की सूची और दोहरे प्रमुख, अंत:विषय और बहु—विषयक कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट वितरण पर निर्णय लेंगे। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताएँ निम्नांकित है:

तालिका-2: योग्यता प्रकार और क्रेडिट आवश्यकताएँ

NHEQF ਜੇਰਜ	योग्यता शीर्षक / नामकरण	क्रेडिट आवश्यकताएं (न्यूनतम)
लेवल 4.5	अंडरग्रेजुएट प्रमाणपत्र (सीखने / विषय के क्षेत्र में) उन लोगों के लिए जो अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के पहले वर्ष (2 सेमेस्टर) के बाद निकास करते हैं। (कार्यक्रम की अवधि : अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम का पहला वर्ष या 2 सेमेस्टर)	40 क्रेडिट
लेवल 5	अंडरग्रेजुएट डिप्लोमा (सीखने/विषय के क्षेत्र में) उन लोगों के लिए जो अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के पहले दो वर्षों (4 सेमेस्टर) के बाद निकास करते हैं। (कार्यक्रम की अवधि : अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के पहले दो वर्ष या 4 सेमेस्टर)	80 क्रेडिट
लेवल 5.5	स्नातक की डिग्री (उदाहरणः कला स्नातकः विन्नान स्नातकः वाणिज्य स्नातकः व्यवसाय प्रशासन स्नातकः, आदि) (कार्यक्रम की अवधिः तीन वर्षं या ६ सेमेस्टर)	120 क्रेडिट
लेवल 5.5	वयवसाय स्नातक (बी.वोक) (कार्यक्रम की अवधिः 3 वर्ष या 6 सेमेस्टर)	120 क्रेडिट
लेवल ६	इंजीनियरिंग स्नातक (बी.ई.); प्रौद्योगिकी स्नातक (बी.टेक.) (कार्यक्रम की अवधिः चार वर्ष या ८ सेमेस्टर)	160 क्रेडिट
लेवल ६	बी.ए. बी.एड. बी.एससी. बी.एड. बी.कॉम. बी.एड. (4—वर्षीय दोहरी डिग्री इंटीग्रेटेड शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम)	160 ਕ਼ੇਰਿਫ
लेवल ६	स्नातक डिग्री (ऑनर्स/अनुसंधान के साथ ऑनसी) (कार्यक्रम की अवधिः चार वर्ष या ८ सेमेस्टर)	160 ਕ਼ੇਰਿਫ

लेवल ६	स्नातकोत्तर डिप्लोमा। उन लोगों के लिए जो 2-वर्षीय मास्टर कार्यक्रम के पहले वर्ष या दो सेमेस्टर की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद बाहर निकलते हैं। (कार्यक्रम की अवधिः एक वर्ष या 2 सेमेस्टर)	40 क्रेडिट
लेवल 6.5	मास्टर की डिग्री (जैसे: एम.ए: एम.कॉम., एम.एससी: आदि) (कार्यक्रम की अवधि : तीन वर्ष की स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद दो वर्ष या चार सेमेस्टर)	80 क्रेडिट
लेवल 6.5	मास्टर की डिग्री (जैसे: एम.ए.; एम.कॉम., एम.एस.सी.; आदि) (कार्यक्रम की अवधि : चार वर्ष की स्नातक (ऑन.सं/अनुसंधान के साथ ऑन.सं) डिग्री प्राप्त करने के बाद एक वर्ष या 2 सेमेस्टर)	40 क्रेडिट
लेवल 7	मास्टर की डिग्री (जैसे: एम.ई.; एम.टेक. आदि) (कार्यक्रम की अवधि : बी.ई., बी.टेक. आदि स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद दो वर्ष या चार सेमेस्टर)	80 क्रेडिट
लेवल ८	डॉक्टोरल डिग्री	कोर्स वर्क, शोध प्रबंध और प्रकाशित कार्य

टिप्पणी :

- i. ऑनर्स छात्र जो शोध नहीं कर रहे हैं वे एक शोध परियोजना / शोध प्रबंध के बदले में 12 क्रेडिट के लिए 3 पाठचक्रम पूरा करेंगे।
- यूजीसी/साविधिक निकायों द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय अतिरिक्त क्रेडिट इस तरह से आवंटित कर सकता है जिससे छात्रों को न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने में सुविधा हो।

स्नातक पाठ्यक्रम के पाठ्यचर्या संबंधी घटक:

पाठचक्रम में प्रमुख स्ट्रीम पाठचक्रम, लघु स्ट्रीम पाठचक्रम और अन्य विषयों के पाठचक्रम, भाषा पाठचक्रम, कौशल पाठचक्रम और पर्यावरण शिक्षा, भारत को समझना, डिजिटल और तकनीकी समाधान, स्वास्थ्य और कल्याण, योग शिक्षा और खेल पर पाठचक्रमों का एक सेट शामिल है। फिटनेस, दूसरे सेमेस्टर के अंत में, छात्र या तो चुने गए प्रमुख विषय को जारी रखने का निर्णय ले सकते हैं या प्रमुख विषय में बदलाव का अनुरोध कर सकते हैं। लघु स्ट्रीम पाठचक्रमों में व्यावसायिक पाठचक्रम शामिल हैं जो छात्रों को नौकरी—उन्मुख कौशल से लैस करने में मदद करेंगे।

अनुशासनात्मक/अंतःविषय मेजरः

मेजर छात्र को किसी विशेष विषय या अनुशासन का गहन अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेगा। छात्रों को पहले वर्ष के दौरान अंतःविषय पाठचक्रमों का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय देकर दूसरे सेमेस्टर के अंत में व्यापक अनुशासन के भीतर प्रमुख बदलाव करने की अनुमति दी जा सकती है। सातवें सेमेस्टर में उन्नत स्तर के अनुशासनात्मक/अंतःविषय पाठचक्रम, अनुसंधान पद्धित में एक पाठचक्रम और एक परियोजना/शोध प्रबंध आयोजित किया जाएगा। अंतिम सेमेस्टर सेमिनार प्रस्तुति, तैयारी और परियोजना रिपोर्ट/शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए समर्पित होगा। परियोजना कार्य/शोध प्रबंध अध्ययन के अनुशासनात्मक पाठचक्रम के किसी विषय या अंतःविषय विषय पर होगा।

अनुशासनात्मक / अंतर्विषयक माइनर :

विद्यार्थियों के पास चुने गए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित अनुशासनात्मक / अंतर्विषयक लघु और कौशल—आधारित पाठचक्रमों में से पाठचक्रम चुनने का विकल्प होगा। जो छात्र चुने गए मुख्य विषयों के अलावा किसी विषय या अंतःविषय अध्ययन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पाठचक्रम लेते हैं, वे उस विषय या चुने गए अंतःविषय अध्ययन क्षेत्र में मामूली पाठचक्रम के लिए अईता प्राप्त करेंगे। छात्र विभिन्न पाठचक्रमों की खोज करने के बाद दूसरे सेमेस्टर के अंत में माइनर और व्यावसायिक स्ट्रीम की पसंद की घोषणा कर सकता है।

7. व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षणः

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण सिद्धांत और व्यावहारिक के साथ-साथ कौशल प्रदान करने के लिए स्नातक पाठचक्रम का एक अभिन्न अंग बनेगा। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित 'माइनर' स्ट्रीम के लिए न्यूनतम 12 क्रेडिट आवंटित किए जाएंगे और ये छात्र के प्रमुख या छोटे अनुशासन या पसंद से संबंधित हो सकते हैं। ये पाठचक्रम उन छात्रों के लिए नौकरी ढूंढने में उपयोगी होंगे जो पाठचक्रम पूरा करने से पहले ही बाहर निकल जाते हैं।

अन्य विषयों से पाठचक्रम (बहुविषयक) (9 क्रेडिट) :

सभी यूजी छात्रों को नीचे दिए गए किसी भी व्यापक विषय से संबंधित 3 प्रारंभिक स्तर के पाठचक्रमों से गुजरना आवश्यक है। इन पाठचक्रमों का उद्देश्य बौद्धिक अनुभव को व्यापक बनाना और उदार कला और विज्ञान शिक्षा का हिस्सा बनना है। छात्रों को इस श्रेणी के तहत प्रस्तावित प्रमुख और लघु स्ट्रीम में उच्च माध्यमिक स्तर (12वीं कक्षा) में पहले से ही किए गए पाठचक्रमों को चुनने या दोहराने की अनुमति नहीं है।

- 8.1 प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान: छात्र प्राकृतिक विज्ञान जैसे विषयों से बुनियादी पाठचक्रम चुन सकतें हैं, उदाहरण के लिए, जीवविज्ञान, वनस्पित विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, मौतिकी, जैव भौतिकी, खगोल विज्ञान और खगोल मौतिकी, पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान, माइक्रोबायोलींजी, फोरॅसिक विज्ञान आदि।
- 8.2 गणित, सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग: इस श्रेणी के अंतर्गत पाठचक्रम छात्रों को अपने प्रमुख और लघु विषयों में उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करने और लागू करने की सुविधा प्रदान करेंगे। पाठचक्रम में पायधन जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एसटीएटीए एसपीएसएस, टैली आदि जैसे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। इस श्रेणी के तहत बुनियादी पाठचक्रम ढेटा विश्लेषण और मात्रात्मक उपकरणों के अनुप्रयोग में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए सहायक होंगे।
- 8.3 पुस्तकालय, सूचना और मीढिया विज्ञानः इस श्रेणी के पाठचक्रम छात्रों को सूचना और मीढिया विज्ञान (पत्रकारिता, जन मीढिया और संचार) में हाल के विकास को समझने में मदद करेंगे।
- 8.4 वाणिज्य और प्रबंधन: पाठचक्रमों में व्यवसाय प्रबंधन, अकाउंटेंसी, वित्त, वित्तीय संस्थान, फिनटेक आदि शामिल हैं।
- 8.5 मानविकी और सामाजिक विज्ञान: सामाजिक विज्ञान से संबंधित पाठचक्रम. उदाहरण के लिए. मानव विज्ञान, संचार और मीडिया, अर्थशास्त्र, इतिहास. माषा विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, आदि छात्रों को व्यक्तियों और उनकेसामाजिक व्यवहार को समझने में सक्षम बनाएंगे। समाज और राष्ट्र छात्रों को भारत के लिए सर्वेक्षण पद्धित और उपलब्ध बड़े पैमाने के डेटाबेस से परिचित कराया जाएगा। मानविकी के अंतर्गत पाठचक्रमों में शामिल हैं, उदाहरण के लिए, पुरातत्व, इतिहास, तुलनात्मक साहित्य, कला और रचनात्मक अमिव्यक्तियाँ, रचनात्मक लेखन और साहित्य, भाषाएँ, दर्शनशास्त्र, आदि, और मानविकी से संबंधित अंतःविषय पाठचक्रम। पाठचक्रमों की सूची जिसमें संज्ञानात्मक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, लिंग अध्ययन, वैश्विक पर्यावरण और स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और विकास, सतत विकास, महिला और लिंग अध्ययन आदि जैसे अंतःविषय विषय शामिल हो सकते हैं, समाज को समझने के लिए उपयोगी होंगे।

9. क्षमता संवर्धन पाठग्रकम (एईसी) (08 क्रेडिट):

अधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) और अंग्रेजी भाषा भाषा और संचार कौशल पर केंद्रित है। छात्रों को भाषा और संचार कौशल पर विशेष जोर देने के साथ आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) और अंग्रेजी भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता होती है। पाठचक्रमों का उद्देश्य छात्रों को महत्वपूर्ण पढ़ाने और व्याख्यात्मक और अकादिमक लेखन कौशल सिहत मुख्य भाषाई कौशल हासिल करने और प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है, जो छात्रों को अपने तकों को स्पष्ट करने और अपनी सोच को स्पष्ट और सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है और ज्ञान के मध्यस्थ के रूप में भाषा के महत्व को पहचानता है। और पहचान. वे छात्रों को चुनी हुई एमआईएल और अंग्रेजी भाषा की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत से परिचित कराने में सक्षम बनाएंगे, साथ ही एमआईएल और अंग्रेजी भाषा दोनों से संबंधित भाषा/साहित्य की संरचना और जिटलता की चिंतनशील समझ प्रदान करेंगे। पाठचक्रम संचार जैसे कौशल के विकास और वृद्धि, और चर्चा और बहस में भाग लेने/संचालन करने की क्षमता पर भी जोर देंगे।

10.कौशल संवर्धन पाठवक्रम (एसईसी):

इन पाठचक्रमों का उद्देश्य छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक कौशल, व्यावहारिक प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल आदि प्रदान करना है। विश्वविद्यालय छात्रों की आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पाठचक्रम डिजाइन कर सकता है।

11.सभी यूजी छात्रों के लिए मूल्य-विधत पाठ्यक्रम (वीएसी) (6-8 क्रेडिट)

- 11.1 भारत को समझना : इस पाठचक्रम का उद्देश्य छात्रों को अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों और नीतियों के बुनियादी ढांचे और संवैधानिक मूल्यों और मौलिक पर विशेष जोर देने के साथ संवैधानिक दायित्वों के साथ समकालीन भारत के ज्ञान और समझ को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है। अधिकार और कर्तव्य। यह पाठचक्रम भारतीय ज्ञान प्रणालियों, भारतीय शिक्षा प्रणाली और सामान्य रूप से राष्ट्र और स्कूल / समुदाय / समाज के प्रति शिक्षकों की मूमिकाओं और दायित्वों के बारे में छात्र—शिक्षकों के बीच समझ विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। यह पाठचक्रम भारत के स्वतंत्रता संग्राम और इसके मूल्यों और आदर्शों के बारे में ज्ञान को गहरा करने और देश के सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों द्वारा किए गए योगदान की सराहना विकसित करने और शिक्षाधियों को मूल्यों को समझने और संजोने में मदद करने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान में निहित और उन्हें एक लोकतात्रिक समाज के प्रभावी नागरिकों के रूप में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना।
- 11.2 पर्यावरण विज्ञान/शिक्षा : पाठचक्रम छात्रों को पर्यावरणीय गिरावट, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, संरक्षण के प्रभावों को कम करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक अर्जित ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को लागू करने की क्षमता से लैस करना चाहता है। जैविक विविधता, जैविक संसाधनों का प्रबंधन, वन और वन्यजीव संरक्षण, और सतत विकास और जीवनयापन। यह पाठचक्रम भारत के पर्यावरण की समग्रता, इसकी संवादात्मक प्रक्रियाओं और लोगों के जीवन की भविष्य की गुणवत्ता पर इसके प्रभावों के ज्ञान और समझ को भी गहरा करेगा।
- 11.3 डिजिटल और तकनीकी समाधान : अत्याधुनिक क्षेत्रों में पाठचक्रम जो तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 3—डी मशीनिंग, बिग डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजीज, और स्वास्थ्य, पर्यावरण और टिकाऊ जीवन के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ गहन शिक्षा जो युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए स्नातक शिक्षा में शामिल की जाएगी।
- 11.4 स्वास्थ्य और कल्याण, योग शिक्षा, खेल और फिटनेस: स्वास्थ्य और तंदुकस्ती से संबंधित पाठचक्रम घटक व्यक्ति के शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय तंदुकस्ती की इण्टतम स्थिति को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। खेल और तंदुकस्ती गतिविधियाँ नियमित विश्वविद्यालय कार्य घंटों के बाहर आयोजित की जाएँगी। योग शिक्षा छात्रों को उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के एकीकरण के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने और उन्हें अपने व्यक्तित्व के बारे में बुनियादी ज्ञान से लैस करने, आत्म—अनुशासन और आत्म—नियंत्रण बनाए रखने, सभी जीवन स्थितियों में खुद को अच्छी तरह से संभालने के लिए सीखने पर ध्यान कोंद्रित करेगी। पाठचक्रम के खेल और तंदुकस्ती घटकों का ध्यान शारीरिक तंदुकस्ती के सुधार पर होगा जिसमें ताकत, गति, समन्वय, धीरज और लचीलेपन जैसे शारीरिक और कौशल—संबंधित तंदुकस्ती के विभिन्न घटकों का सुधार शामिल हैय मोटर कौशल सिहत खेल कौशल का अधिग्रहण और साथ ही किसी विशेष खेल से संबंधित बुनियादी आंदोलन कौशलय सामरिक क्षमताओं में सुधारय और मानसिक क्षमताओं में सुधार। विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार अनुशासन से संबंधित या सभी यूजी कार्यक्रमों के लिए समान अन्य नवीन मूल्यवर्धित पाठचक्रम शुरू करेगा।

12. भारतीय ज्ञान प्रणाली

भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) से संबंधित पाठचक्रम सामग्री को भी पाठचक्रम में शामिल किया जाएगा।

- अ. आईकेएस सभी विषयों के लिए यूजी पाठचक्रम का एक अभिन्न अंग होगा।
- ब. आईकेएस में लिए गए क्रेडिट चार साल के यूजी कार्यक्रमों में कुल अनिवार्य क्रेडिट का कम से कम 5: होना चाहिए। आईकेएस को आवंटित क्रेडिट का कम से कम 50: मुख्य अनुशासनात्मक और बहु—विषयक पाठचक्रमों को आवंटित किया जाएगा। छात्रों को आईकेएस का हिस्सा बनने वाले किसी भी विषय/विषय में इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता का विकल्प चुनने की अनुमति दी जा सकती है।

स. इसके अलावा. विश्वविद्यालय यूजी कार्यक्रम के पहले चार सेमेस्टर के दौरान आईकेएस के आधारभूत पाठचक्रमों में कम से कम एक / दो पेपर सुनिश्चित करेगा, जिसमें मूल्य वर्धित पाठचक्रम (वीएसी) के हिस्से के रूप में न्यूनतम तीनध्चार क्रेडिट (क्रमशः तीन साल / चार साल के यूजी कार्यक्रम) होंगे।

- द. आई.के.एस. के अंतर्गत पाठ्यक्रमों को चयनित विषयों / बहुविषयों में आधारभूत पाठ्यक्रम (आई.के.एस. के लिए विशिष्ट) और वैंकल्पिक पाठ्यक्रम (विषय विशेष) में वर्गीकृत किया जाएगा।
 - I. आधारभूत पाठचक्रम: इसमें आई.के.एस. का बुनियादी ज्ञान शामिल होगा और इसमें भारतीय साहित्य, संस्कृति, खगोल विज्ञान, कला और शिल्प, वास्तुकला, संगीत आदि का बुनियादी ज्ञान शामिल हो सकता है।
 - II. वैंकल्पिक पाठचक्रम (विषय विशेष): इसमें भारतीय गणित और भारतीय खगोल विज्ञान जैसे विशिष्ट विषयों से संबंधित उन्नत ज्ञान शामिल है। यह प्रमुख विषय का हिस्सा होगा।

ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप / प्रशिक्ष्तता (2 – 4 क्रेडिट)

नए यूजी पाठचक्रम का एक प्रमुख पहलू वास्तविक कार्य स्थितियों में शामिल होना है। सभी छात्रों को ग्रीष्मकालीन अविध के दौरान किसी फर्म, उद्योग या संगठन में इंटर्निशिप/प्रशिक्षुता या अपने स्वयं के या अन्य एचईआई/अनुसंधान संस्थानों में संकाय और शोधकर्ताओं के साथ प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण से भी गुजरना होगा। छात्रों को स्थानीय उद्योग, व्यावसायिक संगठनों, स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों, स्थानीय सरकारों (जैसे पंचायत, नगर पालिकाओं), संसद या निर्वाचित प्रतिनिधियों, मीडिया संगठनों, कलाकारों, शिल्पकारों और विभिन्न प्रकार के संगठनों के साथ इंटर्निशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ताकि छात्र अपने सीखने के व्यावहारिक पक्ष के साथ सक्रिय रूप से जुड़सकें और उप—उत्पाद के रूप में, अपनी रोजगार क्षमता में और सुधार कर सकें। जो छात्र पहले दो सेमेस्टर के बाद बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें यूजी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ग्रीष्मकालीन अविध के दौरान भूकिडिट कार्य—आधारित शिक्षा/इंटर्निशिप से गुजरना होगा।

सामुदायिक सहभागिता और सेवा :

सामुदायिक सहभागिता और सेवा' का पाठ्यक्रम घटक छात्रों को समाज में सामाजिक—आर्थिक मुद्दों से अवगत कराना चाहता है, ताकि सैद्धांतिक शिक्षा को वास्तविक जीवन के अनुभवों द्वारा पूरक बनाया जा सके और वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान निकाला द्वार सके। यह मुख्य अनुशासन के आधार पर ग्रीष्मकालीन अवधि गतिविधि या प्रमुख या लघु पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है।

क्षेत्र-आघारित शिक्षण/लघु परियोजनाः

क्षेत्र—आधारित शिक्षण/लघु परियोजना छात्रों को विभिन्न सामाजिक—आर्थिक संदर्भों को समझने के अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगी। इसका उद्देश्य छात्रों को ग्रामीण और शहरी परिवेश में विकास संबंधी मुद्दों से अवगत कराना होगा। यह छात्रों को ग्रामीण और शहरी संदर्भों में स्थितियों का निरीक्षण करने और सामाजिक—आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों के संबंध में वास्तविक क्षेत्र स्थितियों का निरीक्षण और अध्ययन करने के अवसर प्रदान करेगा। छात्रों को विकास प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने वाली नीतियों, विनियमों, संगठनात्मक संरचनाओं, प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों की प्रत्यक्ष समझ हासिल करने के अवसर दिए जाएंगे। उन्हें समुदाय में जटिल सामाजिक—आर्थिक समस्याओं और पहचानी गई समस्याओं के समाधान उत्पन्न करने के लिए आवश्यक नवीन प्रथाओं की समझ हासिल करने का अवसर मिलेगा। अध्ययन के विषय के आधार पर यह एक ग्रीष्मकालीन अवधि की परियोजना या किसी बड़े या लघु पाठचक्रम का हिस्सा हो सकता है।

शोध परियोजना / शोध प्रबंध

4 वर्षीय स्नातक डिग्री (शोध के साथ ऑनसी) चुनने वाले छात्रों को संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में शोध परियोजनाएं शुरू करनी होती हैं। छात्रों से आदवें सेमेस्टर में शोध परियोजना पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। उनके प्रोजेक्ट वर्क के शोध परिणाम सहकर्मी—समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो सकते हैं या सम्मेलनों/सेमिनारों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं या पेटेंट कराए जा सकते हैं

प्रासंगिक अनुभव / दक्षता के लिए क्रेडिट असाइनमेंट

अनुभव सह प्रवीणता स्तर	प्रासंगिक अनुभवात्मक शिक्षा का विवरण जिसमें प्रासंगिक अनुभव और अर्जित व्यावसायिक स्तर और प्रवीणता स्तर प्राप्त करना शामिल है	वेटेज / गुणन कारक	अनुभव के वर्षों की संख्या (केवल सांकेतिक)
प्रशिक्षित / योग्यता प्राप्त	कोई व्यक्ति जिसने पाठचक्रमधेशक्षाध्यशिक्षण पूरा कर लिया है और उसे किसी विशेष कार्य या गतिविधि के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान सिखाया गया है	1	1 वर्ष से कम या बराबर
प्रवीण	प्रवीण प्रवीण का अर्थ होगा किसी विशेष पेशे, कौशल या ज्ञान में उन्नति का स्तर होना	1.33	1 से अधिक 4 से कम या बराबर
विशेषज्ञ	विशेषज्ञ विशेषज्ञ का अर्थ है किसी व्यापार या पेशे में उच्च स्तर का ज्ञान और अनुभव होना	1.67	4 से अधिक 7 से कम या बराबर
मास्टरया ज्ञान होता है	मास्टर वह व्यक्ति होता है जिसके पास किसी विषय/डोमेन का असाधारण कौशल या ज्ञान होता है	2	7 से अधिक

अन्य गतिविधियाँ :

इस घटक में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनसीसी), राष्ट्रीय कैंडेट कोर (एनसीसी), वयस्क शिक्षा/साक्षरता पहल, स्कूली छात्रों को सलाह देने और अन्य समान गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी शामिल होगी।

व्यापक ओपन ऑनलाइन कोर्स (मूक)

मूक शिक्षार्थियों को वैकल्पिक मोड (ऑफलाइन, ओडीएल, ऑनलाइन लर्निंग और हाइब्रिड मोड) में स्विच करने के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं। यूजीसी से प्राप्त दिशा—निर्देशों /सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालय SWAYAM/NPTEL या किसी अन्य ऑनलाइन यूजीसी अनुमोदित प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेश किए जाने वाले कार्यक्रम के एक सेमेस्टर में पेश किए जा रहे कुल पाठचक्रमों /क्रेडिट इकाइयों के 40 प्रतिशत (40:) तक की अनुमति देता है।

विश्वविद्यालय MOOC-आधारित पाठचक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपने दिशा-निर्देश विकसित करेगा। ये दिशा-निर्देश पाठचक्रम में MOOC के सुचारू एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए पाठचक्रम चयन, क्रेडिट हस्तांतरण और अन्य प्रासंगिक पहलुओं की प्रक्रिया को रेखांकित करते हैं।

स्नातक पाठ्यक्रम के लिए संरचना : सेमेस्टर प्रणाली

एनईपी और यूजीसी के दिशा—िनर्देशों के अनुसार तीन वर्षीय बैचलर प्रोग्रामध्यार वर्षीय बैचलर विद ऑनर्सब्ऑनर्स विद रिसर्च के दौरान, छात्रों को आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट इकाइयों के पूरा होने के बाद प्रमाण पत्रधंडिप्लोमाधंडिग्री अर्जित करने के साथ कार्यक्रम में कई बार बाहर निकलने और प्रवेश करने का अवसर मिलता है, जैसा कि तालिका 1 में बताया गया है:

*40 क्रेडिट (स्तर 4.5: जिन्हें यूजी प्रमाण-पत्र दिया जाएगा) या 80 क्रेडिट (स्तर 5: जिन्हें यूजी डिप्लोमा दिया जाएगा) हासिल करने के बाद कार्यक्रम से बाहर निकलने वाले छात्रों को ग्रीष्मकालीन अवधि या औद्योगिक इंटर्निशिप/प्रशिक्षुता के दौरान पेश किए जाने वाले कार्य/डोमेन आधारित व्यावसायिक पाठचक्रमों में 4 अतिरिक्त क्रेडिट हासिल करने की भी आवश्यकता होती है। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम को एक पसंदीदा विकल्प माना जाता है क्योंकि यह छात्र की पसंद के अनुसार चुने गए प्रमुख और गौण विषयों पर ध्यान देने के अलावा समग्र और बहुविषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा। (तालिका – IIA&B)

तालिका IIA: प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकता

क्रम संख्या	पाठचक्रम की श्रेणी	न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकता		
		3 वर्षीय स्नातक पाठवक्रम	4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम	
1	प्रमुख (कोर) पाठचक्रम	60 (50%)	80 (50%)	
2	लघु (वैकल्पिक) पाठचक्रम	24	32	
3	बहुविषयक/अंतर—विषयक/संबद्ध पाठचक्रम	09	09	
4	एईसी (क्षमता संवर्धन पाठचक्रम)	08	08	
5	एसईसी (कौशल संवर्धन पाठचक्रम)	09	09	
6	भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) सहित वीएडी (मूल्य वर्धित पाठचक्रम)	06-08	06-08	
7	समर इंटर्नेशिप	02-04	02-04	
8	शोध प्रबंध/(शोध परियोजना)		12	
-	कुल क्रोडिट	120	160	

नोट:- शोध न करने वाले ऑनर्स छात्र को शोध परियोजनाध्शोध प्रबंध के बदले में 12 क्रोडिट के तीन पाठचक्रम करने होंगे।

तालिका IIB: - स्नातक पाठ्यक्रम के क्रेडिट का सेमेस्टर-वार और व्यापक पाठ्यक्रम श्रेणी-वार वितरणः

सेमेस्टर	अनुशासन विशिष्ट पाठचक्रम (कोर)	माइनर	अंतर-अनुशासनात्मक	क्षमता सवध	न कौशल संवर्धन पाठचक्रम / इंटर्नेशिप / शोध प्रबंध		कुल क्रेडिट
I :	(100 स्तर)	(100 स्तर)	(1 पाठचक्रम)	(1 पाठचक्रम)	(1 पाठचक्रम)	(1 या 2 पाठचक्रम)	:0
п	(100 स्तर)	(100 स्तर)	(1 पाठचक्रम)	(1 पाठचक्रम)	(1 पाटचक्रम)	(1 या 22 पाठचक्रम)	0

	पाठचक्रमों से	प्रदान किया जाएगा, 6 क्रेडिट के अलावा ! कार्य आधारित व्यावन	ग्रीष्मकालीन सत्र या	इंटर्निशिप / प्रशिक्षुत	ता / कौशल संवर्धन		
П	(200 स्तर)	(200 और ऊपर)	(1 पाठचक्रम)	(1 पाठचक्रम)	(1 पाठचक्रम)	-	20
īV	(200 स्तर)	(200 और ऊपर)	320	(1 पाठचक्रम)	-	1	20
	डिप्लोमा प्रद	गप्त करने के बाद व 1न किया जाएगा, बश गैशल आधारित व्यावस	र्ते कि वे पहले वर्ष	या दूसरे वर्ष की	ग्रीष्मकालीन अवधि		222
V	(300 स्तर)	(200 और ऊपर)	£0:		(इंटर्नशिप)	-	20
VI	(300 स्तर)	(200 और ऊपर)	4 0	÷	227	·	20
				ੈ 400 ਕੋਵਿਕ ਕਾਰਿ	्र स्टब्स्ट्रेग्स संबंधित		
		वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम दान की जाएगी	करना याहत ह, उन	5 120 91@C 611#1	त करन पर संबादा	ा अनुशासनधव	^{षय मे} 120
VII				S 120 DIGC SIN	-	-	षय में 120 20
VII VIII	यूजी डिग्री प्र	ादान की जाएगी		5 120 WISC SILE	- (अनुसंधान परियोजना/ शोधप्रबंध)	-	

टिप्पणी:

- प्रत्येक सेमेस्टर में केवल क्रेडिट की न्यूनतम कुल संख्या ऊपर दर्शाई गई हैं। न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान प्रत्येक पाठचक्रम (जैसे, मेजर माइनर मल्टीडिसिप्लिनरी, आदि) के लिए क्रेडिट की संख्या तय कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो उच्च शिक्षा संस्थान अतिरिक्त 10: क्रेडिट प्रदान कर सकते हैं।
- छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तावित अपनी पसंद के पाठचक्रम का ऑडिट करने की अनुमित दी जा सकती हैं, बशर्ते वे पाठचक्रम के लिए आवश्यक शर्ते पूरी करते हों।
- iii. माइनर स्ट्रीम पाठचक्रम तीसरी 300 या उससे ऊपर के स्तर के हो सकते हैं और माइनर से कुल क्रेडिट का 50: संबंधित विषय/अनुशासन में प्राप्त किया जाना चाहिए और माइनर से कुल क्रेडिट का 50: छात्र की पसंद के अनुसार किसी भी विषय से अर्जित किया जा सकता है।
- iv. छात्रों को अंत:विषय श्रेणी के तहत 12वीं कक्षा में पढ़े गए समान पाटचक्रमों को लेने की अनुमति नहीं है।
- प. मौजूदा यूजीसी नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित ऑनलाइन पाठचक्रमों के माध्यम से किसी भी श्रेणी में 40% क्रेडिट अर्जित किए जा सकते हैं।
- vi. आठवीं-सेमेस्टर का मुख्य विषय छात्रों की प्रस्तुतियों और चर्चाओं के साथ सेमिनार-आधारित हो सकता है।

vii. छात्रों को एनएसएस/एनसीसी जैसी गतिविधियों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

स्नातकोत्तर पाठबक्रम की संरचना

- 2 वर्षीय पीजी के लिए: 3 वर्षीय यूजी कार्यक्रम के बाद 2 वर्षीय पीजी में प्रवेश करने वाले छात्र निम्न में से कोई एक चुन सकते हैं
- (i) तीसरे और चौथे सेमेस्टर में केवल पाठचक्रम कार्य या (ii) तीसरे सेमेस्टर में पाठचक्रम कार्य और चौथे सेमेस्टर में शोध या (iii)
 तीसरे और चौथे सेमेस्टर में केवल शोध।
- 1 वर्षीय पीजी: 4 वर्षीय यूजी कार्यक्रम के बाद 1 वर्षीय पीजी में प्रवेश करने वाले छात्र (i) केवल पाठचक्रम कार्य या (ii) शोध या (iii) पाठचक्रम और शोध करने का विकल्प चुन सकते हैं।
- 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम (यूजीपीजी): पीजी स्तर पर 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम का पाठ्यक्रम घटक ऊपर बताए गए 2 वर्षीय पीजी के समान होगा।

क्रेडिट वितरण

अ) 1 वर्षीय पीजी के लिए

पातग्रचर्या घटक	4 वर्षीय यूर न्यूनतम क्रीडि		विद रिसर्च) के लिए पीजी	पाटयक्रम (एक वर्ष)
	कोर्स लेवल	कोर्स वर्क	रिसर्च थीसिस/प्रोजेक्ट/ पेटेंट	कुल क्रेडि क्रेडिट
कोर्स वर्क + रिसर्च	500	20	20	40
कोर्स वक	500	40	575	40
रिसर्व	-0		40	

ब.) 2-वर्षीय पीजी के लिए

पाठश्चचर्या घटक		दो वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम (सामान्य और व्यावसायिक) न्यूनतम क्रोडिट				
		कोर्स लेवल कोर्स वर्क	कोर्स वर्क	रिसर्च श्रीसिस/प्रोजेक्ट/ पेटेंट	कुल क्रेडि क्रेडिट	
पीजी डिप्लोमा		400	40	=	40	
प्रथम वर्ष (प्रथम और द्वितीय संमेस्टर)		400 500	24 16	1274	40	
प्रथम वर्ष के अं	त में बाहर निकलने वा	। ले छात्रों को स्नातः	। कोत्तर डिप्लोमा प्रदान र्ग	े। किया जाएगा	1	
डितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर)	पाठयक्रम और अनुसंधान	500	20	20	40	
	कोर्स वर्क (या)	500	40		40	
	शोध	55.0	55.C	40	40	

निकास बिंदु:

जो लोग 2 वर्षीय पीजी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, उनके लिए केवल एक निकास बिंदु होगा। जो छात्र 1 वर्ष के अंत में बाहर निकलते हैं, उन्हें स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। पीजी कार्यक्रम में चुने गए विषय से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल होने चाहिए।

पाठबक्रमों के स्तर:

पाठचक्रमों को सीखने के परिणामों, कठिनाई के स्तर और शैक्षणिक कठोरता के आधार पर कोडित किया जाएगा। कोडिंग संरचना इस प्रकार है:

- I. 0—99 : परिचयात्मक पाठचक्रम करने के लिए आवश्यक पूर्व—अपेक्षित पाठचक्रम जो बिना किसी क्रेडिट के पास या फेल कोर्स होगा। यह कुछ कॉलेजॉधविश्वविद्यालयों में आयोजित किए जाने वाले ब्रिज पाठचक्रमों की पेशकश के मौजूदा अनौपचारिक तरीके की जगह लेगा।
- II. 100—199 : आधारमूत या परिचयात्मक पाठचक्रम जो छात्रों को विषयों के बारे में समझ और बुनियादी ज्ञान हासिल करने और रुचि के विषय या अनुशासन को तय करने में मदद करने के लिए हैं। ये पाठचक्रम प्रमुख विषय के पाठचक्रमों के लिए पूर्वापेक्षाएँ भी हो सकते हैं। ये पाठचक्रम आम तौर पर अधिक उन्नत पाठचक्रमों को लेने के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करने के लिए आलोचनात्मक सोच के आधारमूत सिद्धांतों, अवधारणाओं, दृष्टिकोणों, सिद्धांतों, विधियों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये पाठचक्रम छात्रों को उन्नत अध्ययन के लिए आवश्यक सामान्य शिक्षा से लैस करने का प्रयास करते हुए कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में (अंतर) अनुशासनात्मक क्षेत्रों की व्यापकता और व्यावसायिक या पेशेवर क्षेत्रों की ऐतिहासिक और समकालीन मान्यताओं और प्रधाओं से छात्रों को परिचित कराएंगे और उच्च स्तरीय पाठचक्रम की नींव रखेंगे।
- III. 200-299 : विषय-विशिष्ट पाठ्यक्रमों सिंडत मध्यवर्ती स्तर के पाठ्यक्रम जो सीखने के छोटे या प्रमुख क्षेत्रों के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिप्रेत हैं। ये पाठ्यक्रम किसी प्रमुख विषय का हिस्सा हो सकते हैं और उन्नत स्तर के प्रमुख पाठ्यक्रमों के लिए पूर्व-आवश्यक पाठ्यक्रम हो सकते हैं।
- IV. 300—399 : उच्च स्तरीय पाठचक्रम जो डिग्री के पुरस्कार के लिए अध्ययन के अनुशासनात्मक/अंतर—विषयक क्षेत्र में प्रमुखता के लिए आवश्यक हैं।
- V. 400—499 : उन्नत पाठचक्रम जिसमें प्रैक्टिकम के साथ व्याख्यान पाठचक्रम, सेमिनार आधारित पाठचक्रम, टर्म पेपर, शोध पद्धति, उन्नत प्रयोगशाला प्रयोग/सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण, शोध परियोजनाएं, व्यावहारिक प्रशिक्षण, स्नातक स्तर पर इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता परियोजनाएं या प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर सैद्धांतिक और व्यावहारिक पाठचक्रम शामिल होंगे।
- VI. 500-599 : 2 वर्षीय मास्टर ढिग्री कार्यक्रम के लिए प्रथम वर्ष के मास्टर ढिग्री स्तर पर पाठचक्रम ।
- VII. 600-699 : 2 वर्षीय मास्टर या 1 वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम के दूसरे वर्ष के लिए पाठचक्रम ।
- VIII. 700 -799 और अधिक : डॉक्टरेट छात्रों तक सीमित पाठचक्रम।

20. स्नातक कार्यक्रमों का नामकरण

स्नातक डिग्री कार्यक्रम 3 या 4 वर्ष की अवधि के होंगे. जिसमें कई निकास/प्रवेश विकल्प (प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री) होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत यूजी कार्यक्रमों को यूजीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार नए नामकरण के साथ संशोधित किया जाएगा। स्नातक कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट आवश्यकताएँ तालिका-I में दी गई हैं।

21 स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का नामकरण

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत स्नातकोत्तर कार्यक्रम / स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम का नामकरण यूजीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

22. स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए प्रवेश मार्ग

 छात्रों को दो वर्षीय कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा, जबिक दूसरा वर्ष पूरी तरह से शोध के लिए समर्पित होगा, जो तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं।

- II. चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम ऑनर्सध्शोध के साथ पूरा करने वाले छात्रों को एक वर्षीय मास्टर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।
- III. कोई भी छात्र अपने यूजी कार्यक्रम में लिए गए प्रमुख या गौण विषय में पीजी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र है।
- IV. यूजी कार्यक्रम में छात्र द्वारा लिए गए प्रमुख या गौण विषय के बावजूद, छात्र पीजी कार्यक्रम के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए पात्र है, बशर्ते कि छात्र पीजी कार्यक्रम के विषय में राष्ट्रीय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करता हो।
- V. जिन अभ्यर्थियों ने 4 वर्षीय यूजी कार्यक्रम या 3 वर्षीय यूजी और 2 वर्षीय पीजी कार्यक्रम या STEM विषयों में 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम (यूजी+पीजी) पूरा कर लिया है, वे संबद्ध क्षेत्रों में एम.ई., एम.टेक. में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- VI. एक एकीकृत पांच वर्षीय स्नातक / स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है।

प्रविष्टि 5 - स्तर 6.5 के लिए प्रवेश की आवश्यकता है

- एक वर्षीय/दो—सेमेस्टर मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए स्नातक डिग्री (ऑनर्स/अनुसंधान)।
- ii. दो-वर्षीय/चार-सेमेस्टर मास्टर डिग्री पाठचक्रम के लिए स्नातक की डिग्री।
- iii. एक वर्षीय / दो-सेमेस्टर स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए स्नातक की डिग्री ।
- iv. मास्टर डिग्री और पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अध्ययन का एक पाठचक्रम उन लोगों के लिए खुला है, जिन्होंने पाठचक्रम प्रवेश नियमों में निर्दिष्ट स्तर की प्राप्ति सहित प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा किया है। अध्ययन के एक पाठचक्रम में प्रवेश आवेदक की जांच के विशेषन्न क्षेत्र में स्नातकोत्तर अध्ययन करने की क्षमता के दस्तावेजी साक्ष्य (शैक्षणिक रिकॉर्ड सहित) के मूल्यांकन पर आधारित है।

निकास 5— स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए. दो—वर्षीय मास्टर पाठचक्रम में शामिल होने वालों के लिए केवल एक निकास बिंदु होगा, अर्थात, मास्टर पाठचक्रम के पहले वर्ष के अंत में। प्रथम वर्ष के बाद बाहर निकलने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा से सम्मानित किया जाएगा।

23..स्नातकोत्तर पाठचक्रम के लिए क्रेडिट आवश्यकताएँ

- एक वर्षीय / दो सेमेस्टर का मास्टर डिग्री पाठचक्रम ऑनर्स/रिसर्च के साथ स्नातक की डिग्री पर आधारित हैं और ऑनर्स/रिसर्च के साथ स्नातक की डिग्री पूरी करने वाले व्यक्तियों के लिए 40 क्रेडिट की आवश्यकता होती है।
- दो वर्षीय / चार सेमेस्टर का मास्टर डिग्री पाठचक्रम स्नातक डिग्री पर आधारित है और पाठचक्रम के दोनों वर्षों से कुल 80 क्रेडिट की आवश्यकता होती है, जिसमें लेवल 7 पर पाठचक्रम के पहले वर्ष में 40 क्रेडिट और दूसरे वर्ष में 40 क्रेडिट होते हैं।
- एक साल ∕ दो सेमेस्टर का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठचक्रम स्नातक की डिग्री पर आधारित है और स्नातक की डिग्री पूरी करने वाले व्यक्तियों के लिए 40 क्रेडिट की आवश्यकता होती है।
 - एक छात्र को केवल विषम सेमेस्टर में प्रवेश/पुनः प्रवेश की अनुमित दी जाएगी और केवल सम सेमेस्टर के बाद ही बाहर निकल सकता
 है। शैक्षणिक कार्यक्रमों में पार्श्व प्रवेशकों के रूप में विभिन्न स्तरों पर पुनः प्रवेश अर्जित क्रेडिट और दक्षता परीक्षण रिकॉर्ड के आधार पर होना चाहिए।
 - अर्जित क्रेडिट की वैधता अधिकतम सात वर्ष की अविध या एबीसी द्वारा निर्दिष्ट होगी। अर्जित क्रेडिट को जमा करने की प्रक्रिया.
 इसकी शेल्फ लाइफ, क्रेडिट का मोचन, यूजीसी (उच्च शिक्षा में अकादिमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) योजना की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021 के अनुसार होगा।

24. तकनीकी कार्यक्रमों के लिए अवधि, प्रवेश स्तर की योग्यताएं और सांविधिक आरक्षण के मानदंड

छात्रों को प्रत्येक निकास के बाद रोजगार योग्य बनाने के लिए, संबंधित नियामक निकाय / विश्वविद्यालय / तकनीकी बोर्ड द्वारा कार्यक्रम के पहले वर्ष से ही पाठचक्रम में संबंधित विषयों में कौशल घटक के साथ प्रगतिशील कौशल वृद्धि को शामिल किया जा सकता है। पहले वर्ष के अंत में निकास की अनुमति देते समय, संस्थान तकनीकी संचार और कंप्यूटर प्रवीणता (डेटा प्रविष्टि आदि), सिविल / मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैनशिप, विद्युत रखरखाव आदि पर अनिवार्य कौशल पाठचक्रम मॉडचूल निर्धारित कर सकते हैं।

क्रमांक	शैक्षिक स्तर	प्रवेश स्तर पात्रताएँ	निकासी स्तर पात्रताएँ	NCrF स्तर
1	10वीं कक्षा	607	10वीं मानक	3.0
2a	डिप्लोमा प्रथम वर्ष	10वीं कक्षा पास	अभ्यर्थी 10+1 वर्ष के डिप्लोमा के साथ निकास करता हैय वोकेशन का प्रमाण पत्र (सी. वोक.)	3.5
3a	12वीं	11वीं कक्षा पास	12वीं	4.0
3b	डिप्लोमा द्वितीय वर्ष	डिप्लोमा द्वितीय वर्ष 10+1 वर्ष का डिप्लोमा (C. Voc.) या 10+2 समकक्ष व्यवसायिक प्रशिक्षण (स्तर 3.5) या डिप्लोमा 12वीं कक्षा पास		4.0
4a	डिप्लोमा तृतीय वर्ष	10+2 वर्ष का व्यवसाय डिप्लोमा या समकक्ष व्यवसायिक प्रशिक्षण (स्तर ४)	डिप्लोमा इंजीनियरिंग	4.5
4b	स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष	10+2 वर्ष का व्यवसाय डिप्लोमा या 12वीं कक्षा पास (स्तर 4)	स्नातक प्रमाणपत्र	4.5
5	स्नातक डिग्री द्वितीय वर्ष	संबंधित शाखा में डिप्लोमा/स्नातक प्रमाणपत्र/ समकक्ष व्यवसायिक या तकनीकी कार्यक्रम (स्तर 4.5)	स्नातक डिप्लोमा (इंजीनियरिंग)	5.0
6	स्नातक डिग्री तृतीय वर्ष	10+3+1/12+2/ संबंधित डोमेन में स्नातक/डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) (स्तर 5)	B-Voc-/ B-Sc-	(इंजीनियरिंग)/ स्नातक डिग्री
7	स्नातक डिग्री अंतिम वर्ष	वोकेशन में 3 वर्ष की बैचलर डिग्री/ B-Sc- (इंजीनियरिंग)/ स्नातक डिग्री (स्तर 5.5)	B-E-/B-Tech-/	स्नातक डिग्री (ऑनर्स)
8	स्नात्कोत्तर डिग्री प्रथम वर्ष	4 वर्ष की बैचलर डिग्री (स्तर 6.00)	स्नाक्त्वोत्तर डिप्लोमा/ M- Voc	6.5
9	स्नात्कोत्तर डिग्री अतिम वर्ष	1 वर्ष की स्नात्कोत्तर डिग्री/स्नात्कोत्तर डिप्लोमा/M-Voc (स्तर 6.5)	M-Tech-/ स्नाक्त्कोत्तर डिग्री (इंजीनियरिंग)/स्नाक्त्कोत्तर डिग्री	7.0
10	पीएच.डी/फेलो प्रोग्राम	B-Tech- में 75% अंक या समकक्ष CGPA/PG		8.0

25 इंजीनियरिंग के UG और PG पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF)

बी.टेक. पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष के बाद बाहर निकलने वाले छात्रों को आईटी/हार्डवेयर नेटवर्किंग/मेटलैंब या शाखा विशेष कौशल मॉड्यूल पर कौशल मॉड्यूल का पालन करना होगा। बी.टेक. के तीसरे और चौथे वर्ष का पाठ्यक्रम पहले से ही इंजीनियरिंग विशिष्ट है, तीन वर्षों के बाद बाहर निकलने वाले छात्रों को यूजी डिग्री/बी. वोक/बी.एससी (इंजीनियरिंग) प्रदान की जा सकती है।

पहले वर्ष के बाद बाहर निकलने वाले डिप्लोमा छात्रों को व्यावसायिक प्रमाणपत्र (सी.वोक.) और दूसरे वर्ष के बाद बाहर निकलने वाले छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (आईटीसी) / व्यावसायिक डिप्लोमा प्रदान किया जा सकता है।

प्रत्येक प्रवेश स्तर पर, वि"वविद्यालय शैक्षिक अंतर/कौशल अंतर की पहचान करेगा और उपयुक्त ब्रिज कोर्स की पेशकश की जा सकती है। विशेषीकरण एआईसीटीई द्वारा समय—समय पर प्रकाशित अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अनुसार होगा।

25.उपस्थिति

उपस्थिति की आवश्यकता परीक्षाओं को नियंत्रित करने वाले विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार होगी। सामान्य तौर पर अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत की उपस्थिति आवश्यक होगी।

लंबी बीमारी जैसे विशेष कारणों से प्रत्येक पाठचक्रम में उपस्थिति के प्रतिशत में कमी को कुलपति द्वारा संबंध ढीन के अनुमोदन से माफ किया जा सकता है।

26.परीक्षा एवं मूल्यांकन

मूल्यांकन निरंतर मूल्यांकन पर आधारित होंगा, जिसमें सेशनल कार्य और टर्मिनल परीक्षा अंतिम ग्रेड में योगदान देगी। सत्रीय कार्य में कक्षा परीक्षण, मध्य—सेमेस्टर परीक्षा, होमवर्क असाइनमेंट आदि शामिल होंगे, जैसा कि अध्ययन के पाठचक्रमों के प्रभारी संकाय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सीखने के परिणामों की उपलब्धि की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन निम्निलिखित का उपयोग करके किया जाएगारू समय—बाधित परीक्षाएँ बंद किताब और खुली किताब परीक्षणय समस्या—आधारित कार्यय व्यावहारिक असाइनमेंट प्रयोगशाला रिपोर्टय व्यावहारिक कौशल का अवलोकनय व्यक्तिगत परियोजना रिपोर्ट (केस—स्टडी रिपोर्ट)य टीम परियोजना रिपोर्टय संगोष्टी प्रस्तुति सिंहत मौखिक प्रस्तुतियाँय मौखिक साक्षात्कारय कम्प्यूटरीकृत अनुकूली मूल्यांकन, मांग पर परीक्षा, मॉडचूलर प्रमाणन, आदि।

प्रत्येक पाठ्यक्रम एक परीक्षा पेपर के अनुरूप होगा जिसमें बाहरी और आंतरिक मूल्यांकन शामिल होंगे। मेजर, माइनर ओपन/जेनेरिक और डीएससी (अनुशासन विशिष्ट पाठ्यक्रम) व्यावसायिक, मूल्य वर्धित, एसईसी (क्षौशल संवर्धन पाठ्यक्रम) और एईसी (क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम) के लिए सेमेस्टर अंत सिद्धांत परीक्षाएं अनुमोदित परीक्षा नेयमों के माध्यम से प्रख्यापित अवधि की होंगी। थ्योरी/प्रैक्टिकल/ट्यूटोरियल, आंतरिक, बाहरी परीक्षाओं के लिए क्रेडिट संख्यना और एक परीक्षा के लिए कुल अंक यूजीसी मानदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय की अकादिमक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम संख्यना के अनुसार होंगे। छात्रों को विश्वविद्यालय के परीक्षा नियमों के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण घोषित होने के लिए अलग—अलग आंतरिक और बाहरी परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना होगा।

- 26.1 मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक सेमेस्टर के लिए निर्धारित अध्ययन पाठचक्रमों के संबंध में उम्मीदवार के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्न पर आधारित होगा
- 26.1.1 अंतिम सेमेस्टर परीक्षाएँ कुल अंकों का 70% अंक और
- 26.1.2 सतत आंतरिक मूल्यांकन कुल अंकों का 30%
- 26.2 अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं विष्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएंगी और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा की अवधि तीन या दो घंटे होगी।
- 26.3 प्रत्येक सेमेस्टर में कार्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं और निरंतर मूल्यांकन सिंडत प्रत्येक पाठ्यक्रम में 40% होगा।
- 26.4 एक कार्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर में एक निर्दिष्ट संख्या में क्रेडिट होंगे। छात्र द्वारा संतोषजनक ढंग से उत्तीर्ण किए गए ग्रेड अंकों के साथ क्रेडिट की संख्या छात्र के प्रदर्शन को मापेगी।
- 26.5 सेमेस्टर परीक्षा परिणामों में निम्नलिखित श्रेणियां होंगी:
- 26.5.1 उत्तीर्ण, अर्थात, जो सेमेस्टर परीक्षा के सभी पाठचक्रमों में आंतरिक और बाह्य परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्ण हुए हैं।
- 26.5.2 पदोन्नत (एटीकेटी), यानी, जिन्होंने किसी विशेष वर्ष में दोनों सेमेस्टर (सम और विषम) सहित न्यूनतम 50% क्रेडिट अर्जित किए हैं
 - या जिन्होंने विषम सेमेस्टर में किसी भी संख्या में क्रेडिट अर्जित किया है।
- 26.5.3 डिटेंड, अर्थात, जिन्हें उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पदोन्नत नहीं किया गया है, उन्हें डिटेंड में लिया जाएगा। ऐसे छात्रों को इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक क्रेडिट (पहले से अर्जित क्रेडिट को छोड़कर) अर्जित करने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र की परीक्षा में उपस्थित होना होगा और उसके बाद ही वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अवधि के मीतर कार्यक्रम जारी रख सकते हैं।
- 26.6 हालाँकि, किसी भी सेमेस्टर का कोई छात्र जिसे कम उपस्थिति के कारण रोका गया है / परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ है / परीक्षा

के लिए आवेदन नहीं किया है / आवेदन किया है लेकिन उपस्थित नहीं हुआ है, उसे कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे छात्र को विष्वविद्यालय द्वारा अपनाई/अधिसूचित प्रक्रिया के माध्यम से पूर्व छात्र के रूप में अगले सत्र में प्रवेश लेना होगा।

27. सतत आंतरिक मूल्यांकन

- 27.1 सतत आंतरिक मूल्यांकन पाठचक्रम के लिए आवंटित कुल अंकों का 30% होगा।
- 27.2 प्रत्येक पाठचक्रम के लिए सतत आंतरिक मूल्यांकन के घटकों का निर्णय संबंधित विषय के अध्ययन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- 27.3 एटीकेटी छात्रों के मामले में सतत आंतरिक मूल्यांकन को आगे बढ़ाया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में एटीकेटी छात्रों के लिए आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

28 MOOCS और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन और प्रमाणन:

MOOCs, व्यावसायिक पाठचक्रमों, फील्ड प्रोजेक्ट्स/इंटर्नशिप/अप्रेटिसशिप/सामुदायिक जुडाव और सेवा/शोध परियोजना के मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए विश्वविद्यालय/SWAYAM portal/UGC के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

29. लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट

सेमेस्टर ग्रेंड पॉइंट औसत (SGPA) की गणना किसी दिए गए सेमेस्टर में छात्र के प्रदर्शन के माप के रूप में ग्रेंड से की जाती है। SGPA वर्तमान अवधि के ग्रेंड पर आधारित हैं, जबकि संचयी GPA (CGPA) अध्ययन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लिए गए सभी पाठचक्रमों में ग्रेंड पर आधारित है।

उच्च शिक्षा संस्थान छात्रों के लाभ के लिए प्रत्येक पाठचक्रम में प्राप्त अंकों और इन सभी मास्टर्स में प्राप्त अंकों के आधार पर भारित औसत का भी उल्लेख कर सकते हैं।

तालिका-3 : ग्रेडिंग प्रणाली

Letter Grade	GradePoints	Description	Range of Marks (%)
0	10	अति उत्कृष्ट	>90 to <=100
A+	9	उत्कृष्ट	>80 to <=90
A	8	बहुत अच्छा	>70 to <=80
B+	7	अच्छा	>60 to <=70
В	6	औसत से ऊपर	>50 to <=60
С	5	औसत	>40 to <=50
P	4	उत्तीर्णं	=40
F	0	असफल	<40
Ab	0	अनुपस्थित	Absent

SGPA और CGPA की गणना

यूजीसी सेमेस्टर ग्रेडपॉइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेडपॉइंट औसत (सीजीपीए) की गणना करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया की सिफारिश करता है:

i एसजीपीए एक छात्र द्वारा लिए गए सभी पाठचक्रमों में छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेडपॉइंट के साथ क्रेडिट की संख्या के गुणनफल का योग और एक छात्र द्वारा किए गए पाठचक्रमों के क्रेडिट की संख्या का योग है, अर्थात

SGPA(Si)=∑(CixGi)/∑Ci

ज्हां Ci's पाठचक्रम के क्रेडिट की संख्या है और Gi's पाठचक्रम में छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेड पॉइंट है।

SGPA की गणना के लिए उदाहरण

Semester	Course	Credit	LetterGrade	Gradepoint	(CreditxGrade)	
1	Course1	3	A	8	3 x8=24	
1	Course1	4	B +	7	4 x7=28	
1	Course1	3	В	6	3 x6=18	
1	Course1	3	0	10	3 x10 = 30	
1	Course1	3	C	5	3 x5=15	
1	Course1	4	В	6	4 x6=24	
		20			139	
		SC	GPA.		139/20=6.95	

ii. संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) की गणना भी उसी तरीकें से की जाती है, जिसमें छात्र द्वारा किसी कार्यक्रम के सभी सेमेस्टरों में किए गए सभी पाठचक्रमों को ध्यान में रखा जाता है. अर्थात

CGPA=∑(CixSi) /∑Ci

जहाँ S i आठवें सेमेस्टर का SGPA है और Cii उस सेमेस्टर में क्रेडिट की कुल संख्या है।

CGPA की गणना के लिए उदाहरण

Semesterl	Semester2	Semester3	Semester4
Credit 20	Credit 20	Credit 20	Credit 20
SGPA 6.9	SGPA 7.8	SGPA 5.6	SGPA 6.0

एसजीपीए और सीजीपीए को 2 दशमलव बिंदु तक पूर्णीकेत किया जाएगा और ट्रांसक्रिप्ट में रिपोर्ट किया जाएगा।

स्नातक प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री प्रदान करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करने पर, सीजीपीए की गणना की जाएगी, और यह मान प्रमाणपत्रधंडिप्लोमाधंडिग्री पर दर्शाया जाएगा। 3—वर्षीय (६ सेमेस्टर) और 4—वर्षीय (६ सेमेस्टर) स्नातक डिग्री में तालिका 4 के अनुसार प्राप्त डिवीजन को भी दर्शाया जाना चाहिए:

तालिका-4: प्रभागों का वितरण

प्रभाग	मानदंड
विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी	उम्मीदवार ने 7.50 या उससे अधिक सीजीपीए के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट अर्जित किए हैं

प्रथम श्रेणी	उम्मीदवार ने 6.00 से अधिक लेकिन 7.50 से कम सीजीपीए के साथ दिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट अर्जित किए हैं।
हितीय श्रेणी	उम्मीदवार ने 4.50 या उससे अधिक लेकिन 6.00 से कम सीजीपीए के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक न्युनतम क्रेडिट अर्जित किए हैं।
उत्तीर्ण	उम्मीदवार ने 4.00 या उससे अधिक लेकिन 4.50 से कम सीजीपीए के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक स्थूनतम क्रेडिट अर्जित किए हैं।

अन्य शैक्षणिक मामलों में इसके अनुप्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए सीजीपीए को प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा।

समतुल्य प्रतिशत = सीजीपीए×10 प्रतिशत को दूसरे दशमलव बिंदु तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उम्मीदवार को प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री तब प्रदान की जाएगी जब वह प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट

सफलतापूर्वक अर्जित कर लेगा।

30. पदोन्नति नियम

30.1 किसी छात्र को पदोन्नत किया जाएगा और वह किसी भी संख्या में बैंक पेपर के बावजूद प्रथम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के तुरंत बाद द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है।

30.2 कोई छात्र द्वितीय सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के तुरंत बाद अनंतिम रूप से तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है और उसका प्रवेश निश्चित हो जाएगा और उसे तृतीय सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा, बशर्ते उसने प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर न्यूनतम 50% क्रेडिट अर्जित किए हों।

30.3 किसी छात्र को पदोन्नत किया जाएगा और वह तीसरे सेमेस्टर के तुरंत बाद चौथे सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है, भले ही तीसरे सेमेस्टर में कितने भी बैक पेपर हों।

30.4 कोई छात्र बौधे सेमेस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद पांचवें सेमेस्टर में अनंतिम रूप से प्रवेश ले सकता है और उसका प्रवेश निश्चित किया जाएगा और उसे पांचवें सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा, बशर्ते उसने तीसरे और बौधे सेमेस्टर दोनों को मिलाकर न्यूनतम 50% क्रेडिट अर्जित किए हों. इसके अलावा छात्र को पहले और दूसरे सेमेस्टर के सभी पेपर पास करने होंगे।

30.5 किसी छात्र को पदोन्नत किया जाएगा और वह पांचवें सेमेस्टर के तुरंत बाद छठे सेमेस्टर में कितने भी बैक पेपर के साथ प्रवेश ले सकता है।

30.6 विषम सेमेस्टर के बैंक पेपर की परीक्षाएं विषम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाओं के साथ आयोजित की जाएंगी, इसी तरह सम सेमेस्टर के बैंक पेपर की परीक्षाएं सम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाओं के साथ आयोजित की जाएंगी।

30.7 इसके अलावा, चौथे सेमेस्टर तक सभी पेपर पास करने वाले छात्रों के लिए 6वें सेमेस्टर के साथ 5वें सेमेस्टर की विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी।

30.8 अंतिम सेमेस्टर के परिणाम की घोषणा के बाद 6वें सेमेस्टर की विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी; केवल 6वें सेमेस्टर में बैक पेपर वाले छात्र इस विशेष परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

30.9 कोई छात्र 6वें सेमेस्टर तक के सभी सेमेस्टर पास करने के बाद ही 7वें सेमेस्टर (यूजी का चौथा वर्ष) में प्रवेश ले सकता है।

30.10 कोई छात्र प्रदोन्नित पाएगा और 7वें सेमेस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद अनंतिम रूप से 8वें सेमेस्टर (यूजी का चौथा वर्ष) में प्रवेश ले सकता है, भले ही 7वें सेमेस्टर में बैंक पेपरों की संख्या कितनी भी हो। इसके अलावा, 7वें सेमेस्टर के बैंक पेपर पास करने के लिए 8वें सेमेस्टर के साथ 7वें सेमेस्टर की विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी।

30.11 अंतिम सेमेस्टर के परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद 8वें सेमेस्टर की विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। सेमेस्टर के परिणामों के आधार पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। 8वें सेमेस्टर में बैंक पेपर वाले कोई भी छात्र इस विशेष परीक्षा में बैंटने के लिए पात्र होंगे।

30.12 कोई भी छात्र चौथे वर्ष के प्रारंभ होने से पहले निर्धारित तरीके से उसी के लिए आवेदन करके चौथे वर्ष में ऑनर्स कोर्स चुन सकता है। प्रमुख विषय में चार वर्षीय यूजी ऑनर्स की डिग्री उन लोगों को प्रदान की जाएगी, जिन्होंने तालिका 5 के अनुसार 160 क्रेडिट के बराबर या उससे अधिक के साथ चार वर्षीय डिग्री कार्यक्रम पूरा किया है।

30.13 इसके अलावा, जो छात्र पहले छह सेमेस्टर में 75% या उससे अधिक अंक या समकक्ष 7.5 सीजीपीए प्राप्त करते हैं और स्नातक स्तर पर शोध करना चाहते हैं, वे चौधे वर्ष में एक शोध स्ट्रीम चुन सकते हैं। उन्हें विभाग के किसी संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में एक शोध परियोजना या शोध प्रबंध करना चाहिए। शोध परियोजना / शोध प्रबंध प्रमुख विषय में होगा। उनके प्रोजेक्ट कार्य के शोध परिणाम सहकर्मी—समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो सकते हैं या सम्मेलनों / सेमिनारों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं या पेटेंट कराए जा सकते हैं।

30.14 यदि किसी छात्र को रोक दिया जाता है या उच्च सेमेस्टर में पदोन्नत नहीं किया जाता है, तो उसे तब तक रोका जाएगा जब तक कि उसके बैकलोंग पेपर पूरे नहीं हो जाते, जिसके लिए वह अगली उचित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते कि यह कार्यक्रम के लिए अनुमत अधिकतम अवधि के भीतर किया गया हो। ऐसे छात्रों के सतत आंतरिक मूल्यांकन के अंक उस संबंधित पाठचक्रम के लिए आगे बढ़ाए जाएँगे जिसमें वह उपस्थित हो रहा है।

30.15 50% क्रेडिट की गणना के लिए सिद्धांत और व्यावहारिक दोनों पाठचक्रमों पर विचार किया जाएगा और 0.5 को राउंड अप किया जाएगा।

31. ट्रांसक्रिप्ट जारी करना

लेटर ग्रेड, ग्रेड पॉइंट और एसजीपीए और सीजीपीए पर सिफारिशों के आधार पर, विश्वविद्यालय प्रत्येक सेमेस्टर के लिए ट्रांसक्रिप्ट और समी सेमेस्टर में प्रदर्शन को दर्शने वाली एक समेकित ट्रांसक्रिप्ट जारी करेगा।

32. क्रेडिट ट्रांसफर

- 32.1 क्रेडिट ट्रांसफर समय—समय पर यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार लागू किया जाएगा।
- 32.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना और संचालन) विनियम 2021 के तहत स्थापित अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के सदस्य संस्थान समय—समय पर संशोधित इस विनियमन के प्रावधानों के अनुसार क्रेडिट स्वीकार और हस्तांतरित करेंगे।
- 32.3 अंतिम पदोन्नित के मामलों को छोड़कर, विश्वविद्यालय अपने बीच छात्रों के क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेंगे, हालांकि, छात्र को उस विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए पाठचक्रम के लिए समानता रखते हुए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है जिसमें छात्र प्रवेश चाहता है।
- 33. यदि इस अध्यादेश के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो इसे चर्चा और सिफारिशों के लिए प्रबंधन बोर्ड को भेजा जाएगा।
- 34. इस पाठचक्रम से संबंधित वैधानिक निकायों जैसे यूजीसी/एआईसीटीई/पीसीआई/बीसीआई/आरसीआई / सीएओ/किसी अन्य प्रासंगिक निवाय द्वारा समय—समय पर जारी किए गए दिशा—निर्देशों को कार्यान्वयन के लिए अपनाया जाएगा।

- 35. इस अध्यादेश के अंतर्गत नहीं आने वाले मामलों में विश्वविद्यालय के सामान्य नियम और विनियम लागू होंगे।
- 36.यदि यूजीसी भविष्य में इस संबंध में अपने विनियमों में कोई बदलाव अधिसूचित करता है, तो उसे विश्वविद्यालय की अकादिमिक पिषद और प्रबंधन बोर्ड की मंजूरी के साथ मौजूदा अध्यादेश में शामिल किया जाएगा।
- 37.उपरोक्त के बावजूद, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के लिए अध्ययन पाठचक्रम यूजीसी या संबंधित वैधानिक निकाय के प्रासंगिक नियमों और मानदंडों द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होगा।

38. सामान्य

- 38.1 एक बार विद्यार्थी द्वारा उत्तीर्ण हो जाने के बाद, कार्यक्रम को दोहराने या उसमें सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- 38.2 पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं होगा। हालांकि, वि"वविद्यालय के नियम के अनुसार पुनर्मूल्यांकन की अनुमति हैं।
- 38.3 बाहर निकलने के विकल्प केवल सम सेमेस्टर के अंत में उपलब्ध होंगे और प्रवेश के विकल्प केवल विषम सेमेस्टर की शुरुआत में प्रचलित पाठचक्रम के साथ उपलब्ध होंगे।
- 38.4 यदि अभ्यर्थी द्वितीय सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा देता है और तृतीय सेमेस्टर के लिए छोड़ देता है तथा भविष्य में चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश लेना चाहता है. तो ऐसे अभ्यर्थियों को चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को विष्वविद्यालय के नियमानुसार तृतीय सेमेस्टर में पुनः प्रवेश लेना होगा। यह अन्य विषम सेमेस्टर पर भी लागू है।
- 38.5 यूजीसीएफ से संबंधित कोई भी बिंदु जो इस अध्यादेश के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, उसे विष्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर अपने अध्यादेश / नियम / दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।
- 38.6 यदि अध्यादेश में शामिल न किए गए मामलों से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो विष्वविद्यालय या यूजीसी के अध्यादेश /संविधि में किए गए प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।
- 38.7 एबीसी और बहु प्रवेश और निकास से संबंधित कोई भी बिंदु जो इस अध्यादेश में शामिल नहीं है, उन्हें समय—समय पर जारी यूजीसी दिशानिर्देशों / विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विष्वविद्यालय के नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा।
- 39. अध्यादेश की व्याख्या पर किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को ही बाध्यकारी माना जाएगा।
- 40. इस अध्यादेश में उल्लिखित कार्यक्रमों से संबंधित मौजूदा अध्यादेश सत्र 2024-25 से इस अध्यादेश के लागू होने के साथ निरस्त हो जाएंगे। किन्तु सत्र 2024-25 से पूर्व प्रवे^तात विद्यार्थियों पर प्रवे^ता के समय लागू अध्यादे^ता ही मान्य होंगे।

Table Table		CF for Mul	tidisciplinary Cour	se of Study				
Sem este r	Core (DSC)	Electiv e (DES)	Generic Elective (GE)	Ability Enhanc ement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Intern ship/ Appre ntices hip/Pr oject (2)	Value addition Course (VAC)	Total Credits
i	Discipline A-1(4) Discipline		Choose one from a pool of courses GE-1	Choose one from a	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a	22 Credits

	B-1(4)		(4)	pool of			pool of	1
	Discipline C-1(4)			AEC courses (2)			courses (2)	
11	Discipline A-2(4) Discipline B-2(4) Discipline C-2(4)		Choose one from a pool of courses GE-2 (4)	choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
			arded undergradu 44 credits in seme		ated (in the Field of Mu I	ltidisciplii	nary study	Total = 44 Credits
Ш	Discipline A-3(4) Discipline B-3(4) Discipline C-3(4)	of course Or Choose o	one from a pool is DSE A/B/C (4) one from a pool is GE-3(4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one SEC OR Internship/Apprentices ject/community outrea		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
IV	Discipline A-4(4) Discipline B-4(4) Discipline	of course Or Choose	one from a pool s DSE A/B/C (4) one from a pool s GE-4(4)	Choose one from a pool of AEC	Choose one SEC OR Internship/Apprentices ject/community outrea		Choose one from a pool of courses	22 Credits
			arded undergradu 88 credits on com		ated (in the Field of Mu emester IV	ltidisciplii	nary study	Total = 88 Credits
V	Discipline A-5(4) Discipline B-5(4) Discipline C-5(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4)	Choose one from a pool of courses GE- 5(4)		Choose one SEC OR Internship/Apprentices ject/community outrea			22 Credits
VI	Discipline A-6(4) Discipline B-6(4) Discipline C-6(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4)	Choose one from a pool of courses GE- 6(4)		Choose one SEC OR Internship/Apprentices ject/community outrea			22 Credits
		hall be aw	arded Bachelor of completion of semi		ld of Multidisciplinary st	udy) afte	er securing	Total = 132 Credits
VII	DSC-(4)	courses (Choose	three DSE (3x4) OR two DSE (2x4) GE(4) course OR			Disserta Major (4 Disserta Minor (4	+2) OR tion on	22 Credits

VIII	DSC-(4)	GE(4) courses OR All three GE 7,8 & 9 (Total=12) Choose three DSE (3x4)	project/Entrepren eurship(4+2) Dissertation on	22 Credits
		courses OR Choose two DSE (2x4) and one GE(4) course OR Choose one DSE and two GE(4) courses OR All three GE 10,11 & 12 (Total=12)	Major (4+2) OR Dissertation on Minor (4+2) OR Academic project/Entrepren eurship(4+2)	
		shall be awarded Bachelor of (in the Field of I ademic Project/Entrepreneurship) after securing		Total = 176 Credits

University Logo

SAMPLE COPY FOR FIRST TO FIFTH

ANNEXURE-S-1

Logo in water mark
Name of the University

GRADE SHEET

Name of the Institute Address of the Institute Name of the Programme

Father's/Husband's Name	Mother's Name	
Name of the Student	Examination	
Enrollment No.	Roll No.	
Batch	Year	

Programme Code	Programme Title	Credits	Grade	Grade Point	Credit Points (Credits x Grade Point)
	Programme 1	6	A	- 8	48
	Programme 2	6	C	5	30
	Programme 3	4	B+	7	28
	Programme 4	4	0	10	40
TO	TAL	-20		*	146
SGPA		146/20			7.30

^{*}Grade in Repeat Examination

RESULT SEMESTER WISE					
SEMESTER	1	11	III	IV	V
TOTAL CREDITS					
OBTAINED CREDITS	-				
ADDITIONAL CREDITS					
SGPA				1	
ATTEMPT					
RESULT					

*SGPA Semester Grade Point Average CGPA Cumulative Grade Point Average Equivalent Percentage = CGPAx10

Date of Result

Registrar / Controller Examination

University Logo

SAMPLE COPY FOR SIXTH

ANNEXURE-S-2

Logo in water mark

----- Name of the University ------

GRADE SHEET

Name of the Institute Address of the Institute Name of the Programme

The Programme Batch 2021-25	2.			Year			
Datett 2021-23			1 cur				
Enrollment No. Name of the Student				Roll No.			
				Examination			
Father's/Husband's Name			Mother's Name				
Programme Code	Programme Title	Credits	Grade	Grade Point	Credit Points (Credits x. Grade Point)		
	Programme 1	6	A	8	48		
	Programme 2	- 6	C	5	30		
	Programme 3	4	B+	7	28		
	Programme 4	4	0	10	40		
TOTAL.		20			146		
SGPA		146/20		T	7.30		

^{*}Grade in Repeat Examination

	R	ESULT SEM	IESTER WISE		
SEMESTER	I	n	ш	IV	v
TOTAL CREDITS					
OBTAINED CREDITS					
ADDITIONAL CREDITS					
SGPA					
ATTEMPT					
RESULT					
		FINAL RES	SULT PASS		
Total Credits	C	GPA	EQUIVALENT PERCENTAGE		DIVISION

CGPA Cumulative Grade Point Average Equivalent Percentage = CGPAx10

Date of Result

Registrar / Controller Examination

SAMPLE COPY FOR SEVENTH SEMESTER

ANNEXURE-S-3

University Logo

Logo in water mark
----- Name of the University ------

GRADE SHEET

Name of the Institute Address of the Institute Name of the Programme

the Programme Batch 2021-25			Year Roll No. Examination Mother's Name		
Enrollment No.					
Name of the Stu	dent				
Father's/Husbar	nd's Name				
Programme Code	Programme Title	Credits	Grade	Grade Point	Credit Points (Credits x Grade Point)
	Programme 1	6	Λ	8	48
	Programme 2	6	C	5	30
	Programme 3	4	H+	7	28
	Programme 4	4	()	10	40
TOTAL		20			146
SX3PA		146/20		1	7,30

^{*}Grade in Repeat Examination

RESULT SEMESTER WISE					
SEMESTER	1	н	Ш	IV	v
TOTAL CREDITS					
OBTAINED CREDITS					
ADDITIONAL CREDITS				10	
SGPA					
ATTEMPT					
RESULT					

		RESULT PASS	
Total Credits	CGPA	EQUIVALENT PERCENTAGE	DIVISION

SGPA Semester Grade Point Average

CGPA Cumulative Grade Point Average Equivalent Percentage - CGPAx10

Date of Result

Registrar / Controller Examination

University Logo

SAMPLE COPY FOR EIGHTH

ANNEXURE-S-4

Logo in water mark
------ Name of the University -------

GRADE SHEET

Name of the Institute Address of the Institute Name of the Programme

Batch 2021-25			Year			
Enrollment No.			Roll No			
Name of the St	odent			Examination		
Father's/Husba	nd's Name		Mother's Name			
Programme Code	Programme Title	Credits	Grade	Grade Point	Credit Points (Credits x Grade Point)	
	Programme 1	- 6	A	8	48	
	Programme 2	4	C	.5	20	
	Programme 3	10	H+	7	70	
TOTAL.		20			138	
SGPA		138/20		1	6.90	

*Grade in Repeat Examination

RESULT SEMESTER WISE					
SEMESTER	1	11	111	IV	v
TOTAL CREDITS					
OBTAINED CREDITS					
ADDITIONAL CREDITS					
SGPA					
ATTEMPT					
RESULT					

SGPA Semester Grade Point Average

Total Credits	CGPA	EQUIVALENT	DIVISION
		PERCENTAGE	

CGPA Cumulative Grade Point Average Equivalent Percentage = CGPAx10

Controller of Examination

Registrar

अटल नगर, दिनांक 23 अगस्त 2024

क्रमांक एफ 3–8/2018/38–2— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23–08–2024 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.पी. पाण्डेय, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 23rd August 2024

NOTIFICATION

No. F 3-8/2018/38-2.—Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 966/ प्र.परि. / प्र.आ. / 2016 / 20491, Dated 26-07-2024 has approved the subsequent Ordinance No. 136 of Sri Rawatpura Sarkar University, Near Shadani Darbar, Village-Dhaneli, Post Office-Mana, Dhamtari Road, Tehsil and District-Raipur (Chhattisgarh) Under Section 29 (2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

- The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinance in Official Gazette.
- The above Ordinance shall come into force with retrospective effect from 1st July, 2024.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, R.P. PANDEY, Deputy Secretary.





SHRI RAWATPURA SARKAR UNIVERSITY, RAIPUR

Ordinance No. 136

Ordinance under NEP for Certificate, Diploma, Under Graduate and Post Graduate programmes as per UGC Guidelines except Governed/Regulated/Approved by BCI, PCI, MCI, ICAR or any other regulatory body relevant to a specific programme.

1. Short Title and Commencement

- 1.1 The ordinance shall be called as ordinance for all the certificates, Diploma, Undergraduate and Post graduate programmes as per the guidelines issued by UGC New Delhi under National Education Policy 2020, except Governed/Regulated/Approved by BCI, PCI, MCI, ICAR or any other regulatory body relevant to a specific programme.
- 1.2 This ordinance shall come into force from the academic session 2024-25.
- 1.3 The provision of the ordinance shall apply to the 1 Year Certificate (Two Semester)/
 2 Year Diploma (Four Semester) / three year (six semester) Bachelor's Degree or Four year (eight semester) Bachelor's Degree (Honors/Honors with Research), one year/two-year masters' degree programme approved as per Statutes no. 12 (2018) and its amendments (2022) of the Shri Rawatpura Sarkar University, Raipur (CG) under the Faculty of Science/ Management/ Commerce/ Engineering/ Arts/ Hotel Management/ Fashion Design/ Health and Allied Sciences/ Education/ Teachers' Training/ Vocational Education / Skill Development/ Rehabilitation Sciences etc except Governed/Regulated/Approved by BCI, PCI, MCI, ICAR or any other regulatory body relevant to a specific programme.

Sn.	Faculty	Programme
1.	Faculty of Science	B.Sc, M.Sc, BCA, PGDCA, MCA
	92	B.Sc & M.Sc in Yoga & Naturopathy, Ph.D
2.	Faculty of Management	BBA, PGDM, MBA, Ph.D
3.	Faculty of Commerce	B.COM, M.COM, Ph.D
4.	Faculty of Engineering	Diploma, B.Tech, M.Tech, Architecture, Urban & Town Planning, Ph.D
5.	Faculty of Arts	BA, MA, B.Lib, M.Lib, BSW, MSW BA & MA in Yoga & Naturopathy,, Sanskrit- Shashtri, Achary Ph.D
6.	Faculty of Hotel Management	BHMCT
7.	Faculty of Fashion Design	Fashion Design: BA, B.Sc, MA, M.Sc

		Interior Design: BA, B.Sc, MA, M.Sc, Ph.D
08.	Faculty of Education/ Teaches Education	ITEP (4Year)- BA.Bed, B.Sc B.Ed, B.COM B.Ed, BPES, MPES
09.	Faculty of Rehabilitation Sciences	Special Education- D.El.Ed, B.Ed
10.	Faculty of Fine Arts/ Performing Arts	BFA (Bachelor of Fine Arts) MFA (Master of Fine Arts) BVA (Bachelor of Visual Arts) MVA (Master of Visual Arts) BPA (Bachelor of Performing Arts) MPA Master of Performing Arts
11.	Faculty of Journalism / Mass Communication / Media	BJ, MJ, BAJMC, MAJMC, BJMC, MJMC Multimedia, Media Management
12.	Faculty of Vocational Education / Skill Development	Certificate Courses as per approval by the University under statute 12 and its amendment.

2. Definition and keyword

- 2.1 "Act" means the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005 and subsequent amendments.
- 2.2 "University" means Shri Rawatpura Sarkar University, Raipur Chhattisgarh established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005.
- 2.3 "Student" means one who has been admitted in the various programme of this University as per procedure decided by Shri Rawatpura Sarkar University, Raipur for Admission to undergraduate/postgraduate degree and postgraduate diploma courses from time to time.
- 2.4 "Choice Based Credits System (CBCS)" means a program that provides choice for students to select from the prescribed courses (Core Courses, Mandatory Courses, Professional Core, Professional Elective, Open Elective, Minor Track, Value Added, Skill Enhancement Courses etc.) as per the guidelines issued by UGC / relevant regulatory body where ever applicable and as approved by the appropriate bodies of the University.
- 2.5 "Course" means "papers" through different modes of delivery and is a component of a programme as detailed out in the respective program structure.
- 2.6 "Credits Point" means the product of grade point and number of credits for a course.
- 2.7 "Credits" means a unit by which the course work is measured. It determines the number of hours of instructions required per week, one credit is equivalent to one hour

- of teaching (lecture, tutorial or seminar) per week or two hours of practical work/field work/project etc. per week. The number of credits for each course shall be defined in the respective examination scheme.
- 2.8 "Cumulative Grade Point Average (CGPA)" means a measure of overall cumulative performance of a student in all semesters. The CGPA is the ratio of total credits points secured by a student in various courses registered up to the semester concerned and the sum of the total credit points of all the registered courses in those semesters concerned. It shall be expressed up to two decimal places.
- 2.9 "Semester Grade Point Average (SGPA)" means a measure of performance of a student in a particular semester. It is the ratio of total credits points secured by a student in various courses registered in a semester and the total credits of all courses in that semester. It shall be expressed up to two decimal places.
- 2.10 "Grade Point" means a numerical weight allotted to each letter grade on a 10-point scale or as prescribed by the University from time to time.
- 2.11 "Letter Grade" means an index of the performance of students in a course. Grades are denoted by letters O, A+, A, B+, B, C, P, F and AB.
- 2.12 "Semester" means an academic session spread over 14-20 weeks of teaching work.
 The odd semester may normally be scheduled from July to December and even semester from January to June.
- 2.13 "Grade Sheet" means a certificate based on the grades earned. Grade sheet shall be issued to all the students registered for the examination after every semester. The grade sheet shall contain the course details (code, title, number of credits, grade secured) along with SGPA of the semester and CGPA earned till that semester. The final semester grade sheet shall also reflect the cumulative total of marks obtained by the student in all semesters out of maximum marks allocated for which the grades of the program were evaluated. However, the final result shall be based on the grades/CGPA.
- 2.14 "Transcript" means a certificate issued to all enrolled students in a program after successful completion of the program. It contains the SGPA of all semesters and the CGPA.
- 2.15 "NEP" means National Education policy-2020.
- 2.16 "NSQF" means National Skills Qualifications Framework defined in NEP 2020.
- 2.17 "NHEQF" National Higher Education Qualification Framework defined in NEP 2020

- 2.18 "UCF" means Unified Credits Framework defined in NEP 2020.
- 2.19 "Undergraduate Certificate Course" means students who completed the requirement of NHEQF Level 4.5/ UCF Level 5.
- 2.20 "Undergraduate Diploma Course means students who completed the requirement of NHEQF Level 5 / UCF Level 6.
- 2.21 "Bachelor Degree" means students who completed the requirement of NHEQF Level 5.5/ UCF Level 7.
- 2.22 "Bachelor Degree (Honours/Research)" means students who completed the requirement of NHEQF Level 6/ UCF Level 8.
- 2.23 "Post Graduate Degree Course" 2 year PG: Students entering 2 year PG after a 3 year UG programme or 1 year PG: Students entering 1 year PG after a 4 year UG programme with Honors / Research.
- 2.24 "Post Graduate Diploma Course" For the PG programme, there shall only be one exit point for those who join two-year PG programme. Students who exit at the end of 1st year shall be awarded a Postgraduate Diploma.
- 2.25 "Course Registration" refers to the registration to courses of study in every semester by every student under the supervision of a faculty advisor (also called mentor, counsellor, class teacher, etc.), in the University to maintain the proper record.
- 2.26 "Course Evaluation" represents the measurement of the impact of the teaching-leaning process and offers an opportunity for improving the quality of learning in courses and teaching performance. Courses evaluation is done by adopting different methods such as tests, quizzes, assignments, etc., during the teaching-learning period at the end of some modules or chapters of syllabus contents and at the end of the semester. While the former part of the evaluation is called the continuous internal assessment and the later part of the evaluation is called end semester assessment.
- 2.27 "Credit Based Course Structure" Each course carries a defined number of credits. The credits are based on the course structure, including the teaching mode and the number of contact hours for lecture, tutorial, and practical classes. Credits are based on the number of contact hours, course content, and teaching methodology and allotted maximum marks. The credits shall be awarded by the University. The credits can be calculated as follows:
 - One hour of theory or one hour of tutorial or two hours of laboratory work per week for 12-15 weeks resulting in the award of one credit.

- Credits for internship shall be one credit per week of training, subject to a
 maximum of four credits in a semester.
- Project/Dissertation: two hours of Project/Research work per week for 12-15
 weeks resulting in the award of one credit.
- 2.28 "Academic Bank of Credits (ABC)" is a national-level facility which shall promote the flexibility of the curriculum framework and interdisciplinary/multidisciplinary academic mobility of students across the higher education institutions (HEIs) in the country with appropriate "credit transfer" mechanism.
- 2.29 "Multiple Entry Exit" means the multiple entries and exit points in the academic programs offered at HEIs that would remove rigid boundaries and create new possibilities for students. There are occasions when learners have to give up their education mid-way for various reasons. To facilitate flexible learning within the stipulated period, multiple exit and entry options are given to the needy students. The student can exit from the program only at the end of the even semester/s (2nd,4th, and 6th semester) and the entry option is provided to the students at the beginning of the odd semester/s (3rd, 5th and 7th semester).

3. Eligibility for Admission:

- 3.1 Admission rules and guidelines for admission to these programmes shall be as per rules and regulations framed by UGC and the State Government from time to time.
- 3.2 The student who has passed the Grade 12th Examination from CG Board of Secondary Education, Chhattisgarh or an equivalent examination from any other board recognized by the State and Central Government and other statutory bodies or fulfills eligible conditions as laid down by concerned regulatory body, in which case the later shall prevail to these Undergraduate Program.

Number of Seats:

- 3.3 Student enrolment in a program shall be restricted to the seats allotted by the University. To start any under graduate program the student intake shall be 60 and for the post graduate program it shall be 40. The basic unit shall be multiples of the unit can also be set up by the Board of Management (BOM).
- 3.4 The in-take capacity shall be determined in advance by the University under the provisions of this Ordinance and shall be applicable from the academic session 2024-25.
- 3.5 Depending upon the academic and physical facilities available, the University may earmark seats to a maximum of 10% of the seats sanctioned for the previous year of the programme for lateral entrants in the second year, third year, fourth year of a first-degree programme, if the students have successfully completed the first year/second year/third year of the same programme in any institution and wants to re-enter into the programme after a break in studies with information to CGPURC.
- 3.6 Indian HEIs may admit international students based on the equivalence of entry

- qualification held by them. The equivalence is to be determined by the University Grants Commission (UGC) or any other body recognised by UGC for such purpose or the concerned regulatory bodies of the country. HEIs may adopt a transparent admission process for admitting the international students.
- 3.6 .1 HEIs may create up to 25% supernumerary seats for international students, over and above of their total sanctioned enrolment for undergraduate and Postgraduate programmes. The decision regarding25% supernumerary seats has to be carried out by the concerned higher educational institutions as per specific guidelines/regulations issued by the regulatory bodies considering the infrastructure, faculty and other requirements.
- 3.6.2 The 25% of the supernumerary seats for international students will not include the international students under exchange programmes 0rland through Memorandum of Understanding (MoU) between institutions or between Government of India and other countries
- 3.6.3 Depending on the availability of infrastructure and qualified faculty, efforts should be made to distribute these 25% seats among all departments, schools, centres or any other academic unit of the higher educational institution. Wherever possible.
- 3.6.4 The supernumerary seats shall be exclusively meant for the international students both in the Undergraduate and Post-graduate programmes. A seat remained unfilled in the supernumerary category, shall not be allocated to anyone other than an international student. International students in this context shall be defined as the one who shall possess a foreign passport.
- 3.6.5 The provision of creating supernumerary seats for international students should be formalized by way of approval of statutory body/bodies of the HEIs in accordance with the guidelines/regulations issued by the regulatory bodies from time to time.
- 3.6.6 The supernumerary seats in professional and technical institutes shall be governed by the respective statutory bodies.
- 3.6.7 Supernumerary seats for Ph.D. programmes shall be governed by the Regulations notified by the University Grants Commission from time to time in this regard.
- 3.6.8 All HEIs shall have an 'Office for International Students'. Year-wise details, i.e., country, number, programme/subject, duration etc., regarding the international students in the HEI be maintained by it and be made available on their website.
- 3.6.9 All details regarding number of seats available for international students in each programme, fee prescribed for the same, admission process, eligibility conditions etc. shall be made available on the website of the HEI.
 All existing rules/provisions notified by Government of India regarding visa/ Foreign Regional Registration Offices (I"RRO) etc. shall be followed by the HEIs.
- 3.7 The 10% of the supernumerary seats for international students shall not include the international students under exchange programmes or/and through Memorandum of Understanding (MoU) between institutions or between Government of India and other countries.
- 3.8 Documents required (TC/CC/Migration etc.) for admission to these programs by National or International students shall be as per guidelines issued by regulatory bodies or decided by the Academic Council with prior approval from the Board of Management.
- 3.9 To enable multiple entry and exit points in the academic programmes, qualifications such

as certificate, diploma, and degree are organized in a series of levels in an ascending order from level 4.5 to level 6. Level 4.5 represents Certificate, level 5 represents Diploma, level 5.5 represents bachelor's degree and 6 represents Bachelor Degree (Honors/Honors with Research)/B.Tech./B.E./PG-Diploma. Qualification and minimum credit requirements are as mentioned in **Table-1**. The entry and exit options for students, who enter the undergraduate programme, shall be as under:

UG Certificate: Students who opt to exit after completion of the first year and have secured 40 credits shall be awarded a UG certificate if, in addition, they complete one vocational course of 4 credits during the summer vacation of the first year. These students are allowed to re-enter the degree programme within three years and complete the degree programme within the stipulated maximum period of seven years.

UG Diploma: Students who opt to exit after completion of the second year and have secured 80 credits shall be awarded the UG diploma if, in addition, they complete one vocational course of 4 credits during the summer vacation of the second year. These students are allowed to re-enter within a period of three years and complete the degree programme within the maximum period of seven years.

3 year UG Degree: Students who wish to undergo a 3-year UG programme shall be awarded UG Degree in the Major discipline after successful completion of three years, securing 120 credits and satisfying the minimum credit requirement.

4 year UG Degree (Honours): A four-year UG Honours degree in the major discipline shall be awarded to those who complete a four-year degree programme with 160 credits and have satisfied the credit requirements as given in Table 1.

4 year UG Degree (Honours with Research): Students who secure 75% marks and above in the first six semesters and wish to undertake research at the undergraduate level can choose a research stream in the fourth year. They should do a research project or dissertation under the guidance of a faculty member of the University. The research project/dissertation shall be in the major discipline. The students who secure 160 credits, including 12 credits from a research project/dissertation, are awarded UG Degree (Honours with Research).

UG Degree Programmes with Single Major: A student has to secure a minimum of 50% credits from the major discipline for the 3-year/4-year UG degree to be awarded a single major.

UG Degree Programmes with Double Major: A student has to secure a minimum of 40% credits from the second major discipline for the 3-year/4-year UG degree to be awarded a double major.

Interdisciplinary UG Programmes: The credits for core courses shall be distributed among the constituent disciplines/subjects so as to get core competence in the interdisciplinary programme.

Multidisciplinary UG Programmes: In the case of students pursuing a multidisciplinary programme of study, the credits to core courses shall be distributed among the broad disciplines such as Life sciences, Physical Sciences, Mathematical and Computer Sciences, Data Analysis, Social Sciences, Humanities, etc.,

The statutory bodies of the University such as the Board of Studies and Academic Council shall decide on the list of courses under major category and credit distribution for double major, interdisciplinary and multidisciplinary programmes. Minimum Credit Requirements to Award Degree under Each Category

Table 1: Qualification Type and Credit Requirements.

NHEQF leve	ls Qualification title/nomenclature	Credit Requirements (Minimum)
Level 4.5	Undergraduate Certificate (in the field of learning/discipline) for those who exit after the first year (2 semesters) of the undergraduate programme. (Programme duration: First year or 2 semesters of the undergraduate programme)	40 credits
Level 5	Undergraduate Diploma (in the field of learning/discipline) for those who exit after the first two years (4 semesters) of the undergraduate programme (Programme duration: First two years or 4 semesters of the undergraduate programme)	
Level 5.5	Bachelor's Degree (examples: Bachelor of Arts; Bachelor of Science; Bachelor of Commerce; Bachelor of Business Administration, etc. (Programme duration: Three years or 6 semesters).	120 credits
Level 5.5	Bachelor of Vocation (B.Voc). (Programme duration: 3 years or 6 semesters).	120 credits
Level 6	Bachelor of Engineering (B.E.); Bachelor of Technology (B.Tech.) (Programme duration: Four years or 8 semesters.	160 credits
Level 6	B.A., B.Ed.; B.Sc., B.Ed.; B.Com., B.Ed. (4-year dual-degree Integrated Teacher Education	160 credits
Level 6	Bachelor's Degree (Honours/ Honours with Research). (Programme duration: Four years or 8 semesters).	160 credits
Level 6	Post-Graduate Diploma. For those who exit after successful completion of the first year or two semesters of the 2-year master's programme). (Programme duration: One year or 2 semesters).	40 credits

Level 6.5	Master's degree. (e.g. M.A.; M.Com., M.Sc.; etc.) (Programme duration: Two years or four semesters after obtaining a 3-year Bachelor's degree).	80 credits
Level 6.5	Master's degree (e.g. M.A.; M.Com., M.Sc.; etc.) (Programme duration: One year or 2 semesters after obtaining a 4- year Bachelor's degree	40 credits
Level 7	Master's degree (e.g. ME; M.Tech. etc.) (Program duration: Two years or four semesters after obtaining a Bachelor's degree (e.g. B.E.,	80 credits
Level 8	Doctoral degree	Credits for course work and, a thesis and published work

Note: -

- Honours students not undertaking research shall do 3 courses for 12 credits in lieu of a research project / Dissertation.
- As per the guidelines promulgated by UGC/Statutory bodies, the university may allot additional credits in a manner that shall facilitate the students to meet the minimum credit requirements.

4. Curricular Components of the Undergraduate Programme

The curriculum consists of major stream courses, minor stream courses and courses from other disciplines, language courses, skill courses, and a set of courses on Environmental education, understanding India, Digital and technological solutions, Health & Wellness, Yoga education, and sports and fitness. At the end of the second semester, students can decide either to continue with the chosen major or request a change of major. The minor stream courses include vocational courses which shall help the students to equip with job-oriented skills.

5. Disciplinary/Interdisciplinary Major:

The major would provide the opportunity for a student to pursue in-depth study of a particular subject or discipline. Students may be allowed to change major within the broad discipline at the end of the second semester by giving her/him sufficient time to explore interdisciplinary courses during the first year. Advanced-level disciplinary/interdisciplinary courses, a course in research methodology, and a project/dissertation shall be conducted in the seventh semester. The final semester shall be devoted to seminar presentation, preparation, and submission of project report/dissertation. The project work/dissertation shall be on a topic in the disciplinary programme of study or an interdisciplinary topic.

6. Disciplinary/Interdisciplinary Minor:

Students shall have the option to choose courses from disciplinary/interdisciplinary minors and skill-based courses relating to a chosen vocational education programme. Students who take a sufficient number of courses in a discipline or an interdisciplinary area of study other than the chosen major shall qualify for a minor in that discipline or in the chosen interdisciplinary area of

study. A student may declare the choice of the minor and vocational stream at the end of the second semester, after exploring various courses.

Vocational Education and Training:

Vocational Education and Training shall form an integral part of the undergraduate programme to impart skills along with theory and practical. A minimum of 12 credits shall be allotted to the 'Minor' stream relating to Vocational Education and Training and these can be related to the major or minor discipline or choice of the student. These courses shall be useful to find a job for those students who exit before completing the programme.

8. Courses from Other Disciplines (Multidisciplinary) (9 Credits):

All UG students are required to undergo 3 introductory-level courses relating to any of the broad disciplines given below. These courses are intended to broaden the intellectual experience and form part of liberal arts and science education. Students are not allowed to choose or repeat courses already undergone at the higher secondary level (12th class) in the proposed major and minor stream under this category.

- 8.1 Natural and Physical Sciences: Students can choose basic courses from disciplines such as Natural Science, for example, Biology, Botany, Zoology, Biotechnology, Biochemistry, Chemistry, Physics, Biophysics, Astronomy and Astrophysics, Earth and EnvironmentalSciences, Microbiology, Forensic Science, etc.
- 8.2 Mathematics, Statistics, and Computer Applications: Courses under this category shall facilitate the students to use and apply tools and techniques in their major and minor disciplines. The course may include training in programming software like Python among others and applications software like STATA, SPSS, Tally, etc. Basic courses under this category shall be helpful for science and social science in data analysis and the application of quantitative tools.
- 8.3 Library, Information, and Media Sciences: Courses from this category shall help the students to understand the recent developments in information and media science (journalism,mass media, and communication).
- 8.4 Commerce and Management: Courses include Business Management, Accountancy, Finance, Financial Institutions, Fintech, etc.
- 8.5 Humanities and Social Sciences: The courses relating to Social Sciences, for example, Anthropology, Communication and Media, Economics, History, Linguistics, Political Science, Psychology, Social Work, Sociology, etc. shall enable students to understand the individuals and their social behaviour, society, and nation. Students be introduced to survey methodology and available large-scale databases for India. The courses under humanities include, for example, Archaeology, History, Comparative Literature, Arts & Creative expressions, Creative Writing and Literature, language(s), Philosophy, etc., and interdisciplinary courses relating to humanities. The list of Courses that can include interdisciplinary subjects such as Cognitive Science, Environmental Science, Gender Studies, Global Environment & Health, International Relations, Political Economy and Development, Sustainable Development, Women's and Gender Studies, etc. shall be

useful to understand society.

Ability Enhancement Courses (AEC) (08 Credits): Modern Indian Language (MIL) & English Language Focused on Language and Communication Skills.

Students are required to achieve competency in a Modern Indian Language (MIL) and in the English language with special emphasis on language and communication skills. The courses aim at enabling the students to acquire and demonstrate the core linguistic skills, including critical reading and expository and academic writing skills that help students articulate their arguments and present their thinking clearly and coherently and recognize the importance of language as a mediator of knowledge and identity. They would also enable students to acquaint themselves with the cultural and intellectual heritage of the chosen MIL and English language, as well as to provide a reflective understanding of the structure and complexity of the language/literature related to both the MIL and English language. The courses shall also emphasize the development and enhancement of skills such as communication, and the ability to participate/conduct discussion and debate.

10. Skills Enhancement Courses (SEC):

These courses are aimed at imparting practical skills, hands-on training, soft skills, etc., to enhance the employability of students. The University may design courses as per the students' needs and available resources.

11. Value-Added Courses (VAC) Common to All UG Students (6-8 Credits)

- 11.1 Understanding India: The course aims at enabling the students to acquire and demonstrate the knowledge and understanding of contemporary India with its historical perspective, the basic framework of the goals and policies of national development, and the constitutional obligations with special emphasis on constitutional values and fundamental rights and duties. The course would also focus on developing an understanding among student-teachers of the Indian knowledge systems, the Indian education system, and the roles and obligations of teachers to the nation in general and to the school/community/society. The course shallattempt to deepen knowledge about and understanding of India's freedom struggle and of the values and ideals that it represented to develop an appreciation of the contributions made by people of all sections and regions of the country, and help learners understand and cherish the values enshrined in the Indian Constitution and to prepare them for their roles and responsibilities as effective citizens of a democratic society.
- 11.2 Environmental science/education: The course seeks to equip students with the ability to apply the acquired knowledge, skills, attitudes, and values required to take appropriate actions for mitigating the effects of environmental degradation, climate change, and pollution, effective waste management, conservation of biological diversity, management of biological resources, forest and wildlife conservation, and sustainable development and living. The course shall also deepen the knowledge and understanding of India's environment in its totality, its interactive processes, and its effects on the future quality of people's lives.
- 11.3 Digital and technological solutions: Courses in cutting-edge areas that are fast gaining

prominences, such as Artificial Intelligence (AI), 3-D machining, big data analysis, machine learning, drone technologies, and Deep learning with important applications to health, environment, and sustainable living that shall be woven into undergraduate education for enhancing the employability of the youth.

11.4 Health & Wellness, Yoga education, sports, and fitness: Course components relating to health and wellness seek to promote an optimal state of physical, emotional, intellectual, social, spiritual, and environmental well-being of a person. Sports and fitness activities shall be organized outside the regular University working hours. Yoga education would focus on preparing the students physically and mentally for the integration of their physical, mental, and spiritual faculties, and equipping them with basic knowledge about one's personality, maintaining self-discipline and self-control, to learn to handle oneself well in all life situations. The focus of sports and fitness components of the courses shall be on the improvement of physical fitness including the improvement of various components of physical and skills-related fitness like strength, speed, coordination, endurance, and flexibility; acquisition of sports skills including motor skills as well as basic movement skills relevant to a particular sport; improvement of tactical abilities; and improvement of mental abilities.

The University shall introduce other innovative value-added courses relevant to the discipline or common to all UG programmes as per requirement.

12. Indian Knowledge System

Course content related to Indian Knowledge System (IKS) shall also be incorporated in syllabus.

- A. IKS shall be an integral part of the UG course curriculum for all disciplines.
- B. The credits taken into IKS should be at least 5% of total mandated credits in Four Years UG programmes. At least 50% of the credits apportioned to the IKS shall be assigned to the core disciplinary and multidisciplinary courses. The students may be allowed to opt for internship/apprenticeship in any of the disciplines/topics that are part of IKS.
- C. In addition, University shall ensure to have minimum one/two paper in foundational courses of IKS preferably during the first four semester of UG programme with minimum three/four credit (Three Years/Four Years UG programmes respectively) as a part of Value added Course (VAC).
- D. The courses under IKS shall be categorized into Foundational Courses (Specialized to IKS) and Elective courses (Discipline Specific) in selected disciplines/multidiscipline.
 - Foundational Courses: This will cover the basic knowledge of IKS and it may contain basic knowledge of Indian literature, Culture, Astronomy, Art & Crafts, Architecture, Music etc.
 - II. Elective courses (Discipline Specific): It contains the advanced knowledge pertaining to the specific discipline such as Indian Mathematics and Indian Astronomy. This will be part of Major discipline.

13. Summer Internship / Apprenticeship (2 – 4 Credits)

A key aspect of the new UG programme is induction into actual work situations. All students shall also undergo internships / Apprenticeships in a firm, industry, or organization or Training in labs with faculty and researchers in their own or other HEIs/research institutions during the summer term. Students shall be provided with opportunities for internships with local industry, business organizations, health and allied areas, local governments (such as panchayats, municipalities), Parliament or elected representatives, media organizations, artists, crafts persons, and a wide variety of organizations so that students may actively engage with the practical side of their learning and, as a by-product, further improve their employability. Students who wish to exit after the first two semesters shall undergo a 4-credit work-based learning/internship during the summer term in order to get a UG Certificate.

14. Community Engagement and Service:

The curricular component of 'community engagement and service' seeks to expose students to the socio-economic issues in society so that the theoretical learnings can be supplemented by actual life experiences to generate solutions to real-life problems. This can be part of summer term activity or part of a major or minor course depending upon the major discipline.

15. Field-Based Learning/Minor Project:

The field-based learning/ minor project shall attempt to provide opportunities for students to understand the different socio-economic contexts. It shall aim at giving students exposure to development-related issues in rural and urban settings. It shall provide opportunities for students to observe situations in rural and urban contexts, and to observe and study actual field situations regarding issues related to socioeconomic development. Students shall be gen opportunities to gain a first-hand understanding of the policies, regulations, organizational structures, processes, and programmes that guide the development process. They would have the opportunity to gain an understanding of the complex socio-economic problems in the community, and innovative practices required to generate solutions to the identified problems. This may be a summer term project or part of a major or minor course depending on the subject of study.

16. Research Project / Dissertation

Students choosing a 4 Year Bachelor's degree (Honours with Research) are required to take up research projects under the guidance of a faculty member. The students are expected to complete the Research Project in the eighth semester. The research outcomes of their project work may be published in peer-reviewed journals or may be presented in conferences /seminars or may be patented.

The principle of calculating credits acquired by a candidate by virtue of relevant experiential learning including relevant experience and professional levels acquired and attaining proficiency levels (post-completion of an academic grade/ skill-based program) gained by the learner/student in the industry for PG programmes is given in the Table below:

Credit Assignment for relevant experience / proficiency

Experience cum Proficiency Levels	Description of the relevant Experiential learning including relevant experience and professional levels acquired and attaining proficiency levels	Weightage/ multiplication Factor	No. of years of experience (Only indicative)
Trained/ Qualification attained	Someone who has completed the coursework/ education/ training and has been taught the skills and knowledge needed for a particular job or activity	1	Less than or equal to 1 year
Proficient	Proficient would mean having the level of advancement in a particular profession, skillset, or knowledge	1.33	More than 1 less than or equal to 4
Expert	Expert means having high level of knowledge and experience in a trade or profession	1.67	More than 4 less than or equal to 7
Master	Master is someone having exceptional skill or knowledge of a subject/domain	2	More than 7

17. Other Activities:

This component shall include participation in activities related to National Service Scheme (NSS), National Cadet Corps (NCC), adult education/literacy initiatives, mentoring school students, and other similar activities.

18. Massive Open Online Course (Mooc's)

MOOC's provide flexibility to learners to switch to alternative modes (offline, ODL, online learning & hybrid mode). The University as per the guidelines/recommendations received from UGC allows up to 40 percent (40%) of the total courses / credit units being offered in a semester of a programme offered through the SWAYAM/ NPTEL or any other online UGC approved platform.

The university shall develop its guidelines for the implementation of MOOC-based courses. These guidelines outline the process of course selection, credit transfer, and other relevant aspects to ensure a smooth integration of MOOCs into the curriculum.

19. Structure For Undergraduate Programme: Semester System

As per NEP and guidelines from UGC during the Three years Bachelor programme/Four years Bachelor with Honours/ Honours with Research, students get opportunities for multiple exits and entries in the programme with earning a Certificate/Diploma/Degree after the completion of required minimum credit units as per the Table 1:

* Student exiting the programme after securing 40 credits (Level 4.5: who shall be awarded UG Certificate) or 80 credits (Level 5: who shall be awarded UG Diploma) are also required to secure 4 additional credits in work/domain based vocational courses offered during summer term or industrial internship/apprenticeship.

The 4-year Bachelor's degree programme is considered a preferred option since it would provide the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minor as per the choice of the student. (Table - IIA&B)

Table IIA: Minimum credit requirement to award degree undereach category

Sr. No.	Category of Course	Minimum Credit Requirement		
		3- Years UG Programmes	4- Years UG Programmes	
1	Major (Core) Courses	60(50%)	80 (50%)	
2	Minor (Elective) Courses	24	32	
3	Multidisciplinary/Interdisciplinary/ Allied Courses	09	09	
4	AEC (Ability Enhancement Courses)	08	08	
5	SEC (Skill Enhancement Courses)	09	09	
6	VAD (Value Added Courses) including Indian Knowledge System (IKS)	06-08	06-08	
7	Summer Internship	02-04	02-04	
8	Dissertation/(Research Project)		12	
	Total Credits	120	160	

Note:- Honors student not undertaking research will do three courses of 12 credits in lieu of a research project/dissertation.

Table IIB: The Semester-wise and Broad Course Category-wise Distribution of credits of the Undergraduate Programme:

Semester	Disciplin e Specific Courses Core	VIIII OP	Inter- disciplin ary Courses	Ability Enhancem ent courses (Language)	Skill Enhanceme nt courses Internship/ Dissertation	Commo n Value- Added Courses	Credits
I	(100 level)	(100 Level)	(1 course)	(1 course)	(1 course)	(1 or 2 courses	20
11	(100 level)	(100 Level)	(1 course)	(1 course)	(1 course)	(1 or 2 courses	20
	awarded they secu during s Enhancer	exiting the property of the control	e in the re in work or inte in additio	levant Discip based vocat rnship / Ap on to 6 cree	line/Subject ional course pprenticeship dits from sk	provided s offered / Skill	
ш	(200 level)	(200 & above)	(1 course)	(1 course)	(1 course)	2	20

IV	(200 level)	(200 & above) I -	-	(1 course)			20
	awarded they see	s exiting the pr I UG Diploma cure additional during first year	in the rel 4 credit	evant Discip in skill bas	line /Subject sed vocationa	provided	
v	(300 Level)	(200 & above)	=	5	(Internship)	P.	20
VI	(300 Level)	(200 & above)		<u></u>		2	20
	awarded	who want to UG Degree 120 credits					16-08-00-0
VII	(400 Level)	(300 & above)	=		-	Ð	20
VIII	(400 Level)	(300 & above)	7		(Research Project/ Dissertation		20
	118	F. 17 (CE)	LINCE	Names (Hans	nure) with Ro	search in	
	Students the relev	s shall be awar ant	ded UG D	egree (nonc	ours) with Ke	search in	160

Note:

- a) Only the minimum total number of credits in each semester is indicated above. The HEIs may decide the number of credits for each course (e.g., Major, Minor, Multidisciplinary, etc.) to fulfil the minimum number of credit requirements. The HEIs may offer additional 10% credit if required.
- b) Students may be permitted to audit course(s) of their choice offered by the HEI provided they meet the pre-requisite for the course.
- c) Minor stream courses can be from the 3rd 300 or above level and 50% of the total credits from minors must be secured in the relevant subject/discipline and another 50% of the total credits from a minor can be earned from any discipline as per students' choice.
- d) Students are not allowed to take the same courses studied in the 12th class under the interdisciplinary category.
- e) 40% of the credits in any category may be earned through online courses approved by the University as per the existing UGC regulations.
- VIII-Semester core major may be seminar-based with students' presentations and discussions.

g) Students may be encouraged to enroll in activities such as NSS / NCC.

Structure of PG-Programmes

For 2-year PG: Students entering 2-year PG after a 3-year UG programme can choose to do

(i) only course work in the third and fourth semester or (ii) course work in the third semester
and research in the fourth semester or (iii) only research in the third and fourth semester.

I-year PG: Students entering 1-year PG after a 4-year UG programme can choose to do (i) only coursework or (ii) research or (iii) coursework and research.

5-year Integrated Programme (UG+PG): At the PG level, the curricular component of 5-year integrated programme will be similar to that of 2-year PG mentioned above.

Credit Distribution

a) For 1-year PG

Curricular Components	PG Programme (one year) for 4-yr UG (Hons./Hons. with Research) Minimum Credits					
	Course Level	Coursework	Research thesis/project/Patent	Total Credits		
Coursework + Research	500	20	20	40		
Coursework	500	40	×4	40		
Research	R		40			

b) For 2-year PG

Curricular Components		Two-Year PG Programme (Generic and Professional) Minimum Credits			
		Course Level	Coursework	Research thesis/project/Patent	Total Credits
PG Diploma	1	400	40	l'est	40
1 st Year		400	24	-	40
(1 st & 2 nd Semester)		500	16		
Students wh	o exit at the end o	f 1 st year shall be	awarded a Postgr	aduate Diploma	
2 nd Year (3 rd & 4 th	Coursework & Research	500	20	20	40
Semester)	Coursework (or)	500	40		40
	Research	+-	-	40	40

Exit Point:

For those who join 2 year PG programmes, there shall only be one exit point. Students who exit at the end of 1st year shall be awarded a Postgraduate Diploma.

The PG programme should include vocational courses relevant to the chosen discipline.

Levels of Courses:

Courses shall be coded based on the learning outcomes, level of difficulty, and academic Rigor. The coding structure is as follows:

- 0-99: Pre-requisite courses required to undertake an introductory course which will be a pass or
 fail course with no credits. It will replace the existing informal way of offering bridge courses
 that are conducted in some of the colleges/universities.
- ii. 100-199: Foundation or introductory courses that are intended for students to gain an understanding and basic knowledge about the subjects and help decide the subject or discipline of interest. These courses may also be prerequisites for courses in the major subject. These courses generally would focus on foundational theories, concepts, perspectives, principles, methods, and procedures of critical thinking in order to provide a broad basis for taking up more advanced courses. These courses seek to equip students with the general education needed for advanced study, expose students to the breadth of different fields of study; provide a foundation for specialized higher-level coursework; acquaint students with the breadth of (inter) disciplinary fields in the arts, humanities, social sciences, and natural sciences, and to the historical and contemporary assumptions and practices of vocational or professional fields; and to lay the foundation for higher level coursework.
- 200-299: Intermediate-level courses including subject-specific courses intended to meet the credit requirements for minor or major areas of learning. These courses can be part of a major

- and can be pre-requisite courses for advanced-level major courses.
- 300-399: Higher-level courses which are required for majoring in a disciplinary/interdisciplinary area of study for the award of a degree.
- v. 400-499: Advanced courses which would include lecture courses with practicum, seminar-based course, term papers, research methodology, advanced laboratory experiments/software training, research projects, hands-on-training, internship/apprenticeship projects at the undergraduate level or First year Postgraduate theoretical and practical courses.
- vi. 500-599: Courses at first-year Master's degree level for a 2-year Master's degree programme
- vii. 600-699: Courses for second-year of 2-year Master's or 1-year Master's degree programme
- viii. 700 799 & above: Courses limited to doctoral students.

20. Nomenclature of Undergraduate Programmes

The undergraduate degree programmes shall be of either 3- or 4-year duration with multiple exit/entry options (Certificate/Diploma/Degree).

The UG programmes offered by the University shall be revised with new nomenclature as per the UGC Guidelines.

The Credit requirements for the undergraduate programmes, are given in Table -I.

21. Nomenclature of Postgraduate Programmes

The nomenclature of post-graduate programme/post-graduate diploma programme offered by the university shall be as per the UGC guidelines.

22. Admission Paths for the Postgraduate Programme:

- a) Students shall be admitted to a two-year programme with the second year devoted entirely to research for those who have completed the three-year Bachelor's programme
- Students completing a four-year Bachelor's programme with Honours/ Research, may be admitted to a one-year Master's programme
- c) A student is eligible for admission in a PG programme either in the major or minor discipline taken by the student in his/her UG programme.
- d) Irrespective of the major or minor disciplines taken by a student in a UG programme, a student is eligible for admission in any discipline of PG programmes if the student qualifies the National level or University level entrance examination in the discipline of PG programme.
- e) Candidates who have completed 4-year UG programme or a 3 year UG and 2 year PG programme or 5 year integrated programme (UG + PG) in STEM subjects will be eligible for admission in M.E., M. Tech. in allied areas.
- f) There may be an integrated five-year Bachelor's/Master's programme.

Entry 5: The entry requirement for Level 6.5 is

- A Bachelor's Degree (Honours/Research) for the one-year/two-semester Master's degree programme.
- A Bachelor's Degree for the two-year/four-semester Master's degree programme.
- A Bachelor's Degree for the one-year/two-semester Post-Graduate Diploma programme.
- d) A programme of study leading to the Master's degree and Post-Graduate Diploma is open to those who have met the entrance requirements, including specified levels of attainment, in the programme admission regulations. Admission to a programme of study is based on the evaluation of documentary evidence (including the academic record) of the applicant's ability to undertake postgraduate study in a specialist field of enquiry.
- Exit 5: For postgraduate programmes, there shall only be one exit point for those who join the two-year Master's programme, that is, at the end of the first year of the Master's programme. Students who exit after the first year shall be awarded the Post-GraduateDiploma.

23. Credit Requirements of Postgraduate Programmes

- a) A one-year/two-semester Master's degree programme builds on a Bachelor's degree with Honours/Research and requires 40 credits for individuals who have completed a Bachelor's degree with Honours/Research.
- b) The two-year/four-semester Master's degree programme builds on a Bachelor's degree and requires a total of 80 credits from both years of the programme, with 40 credits in the first year and 40 credits in the second year of the programme at level 7.
- c) A one-year/two-semester Post-Graduate Diploma programme builds on a Bachelor's degree and requires 40 credits for individuals who have completed a Bachelor's degree.
- *A student shall be allowed to enter/re-enter only at the odd semester and can only exit after the even semester. Re-entry at various levels as lateral entrants in academic programmes should be based on the earned credits and proficiency test records.
- *The validity of credits earned shall be to a maximum period of seven years or as specified by the ABC. The procedure for depositing credits earned, its shelf life, redemption of credits, would be as per UGC (Establishment and Operationalization of Academic Bank of Credits (ABC) scheme in Higher Education) Regulations, 2021.

24. Norms for Duration, Entry Level Qualifications and Statutory Reservations for the Technical Programmes

To make the students employable after every exit, the skill component with progressive enhancement in skills in respective disciplines may be introduced in the curriculum right from the 1st year of the program by the concerned regulatory body/ University/ Technical Board, as the case may be. While allowing exit at the end of first year, institutes may prescribe mandatory skill course module on Technical Communication and Computer Proficiency (Data Entry etc.), Civil / Mechanical Draftsmanship, Electrical maintenance etc.

Sr. No	Academic Level	Entry Level Qualifications	Qualifications at Exit	NCrF Level
1	10th Std.		10th Standard	3.0
2	1st yr. of Diploma	10th Completed	A candidate exits with 10+1 year of Diploma; Certificate of Vocation (C. Voc.)	3.5
3a	12th Std.	Passed 11th std.	12th Standard	4.0
3b	2nd yr. of Diploma	A candidate completing 10+1 year of Diploma (C. Voc.) or equivalent vocational training with level 3.5 or passed 12th std.	with 10+2 years with	
4a	Third yr. of Diploma	A candidate completing 10+2 years with Diploma of Vocation or equivalent vocational training with level 4	Diploma Engg.	4.5
4b	1st yr. of UG Degree	A candidate completing 10+2 years with Diploma of Vocation or passed 12th std. or equivalent vocational training with level 4	UG Certificate	4.5
5	2nd yr. of UG Degree	A candidate with Diploma in appropriate branch of Engineering/ UG Certificate/ Equivalent Vocational or Technical Program level 4.5	UG Diploma (Engg)	5.0
6	3rd yr. of UG Degree	A candidate with 10+3+1/12+2/ UG Diploma (Engg.) in appropriate domain with level 5	B.Voc./ B.Sc	(Engg.) UG Degree
7	Final yr. of UG Degree	A candidate with 3 yrs. Bachelor degree in Vocation / B.Sc (Engg.)/ UG Degree with level 5.5	B.E./B. Tech./ UG	Degree (Hons.)

8	1st yr. of PG Degree	A candidate with 4 yrs. Bachelor(level 6.00)	PG Diploma/	6.5
9	Final Year of PG Degree	1 year of PG Degree/ PG Diploma/ M.Voc(Level 6.5) in appropriate domain	M Tech/ PG Degree (Engg.)/ PG Degree	7.0
10	Ph.D/ Fellow Program	B.Tech. with 75% Marks or equivalent CGPA/PG		8.0

National Credit Framework (NCrF) for UG & PG Courses in Engineering Students who exit after 2nd year of B.Tech. course must undergo skill modules on IT/Hardware Networking / METLAB or Branch specific skill module. Course structure at 3rd year and 4th year of B.Tech. is already Engineering specific, students who exit after 3-years may be awarded UG Degree/B. Voc/B.Sc(Engg.).

For Diploma students who exit after 1st year, Certificate of Vocation (C.Voc.) and who exit after 2nd year Industrial Training Certificate (ITC)/ Diploma of Vocation may be awarded.

At each entry level, University shall identify the educational gaps/ skill gaps and suitable bridge courses may be offered.

Specialization shall be as per the Respective Regulatory Bodies issued from time to time.

25. Attendance

Requirement of attendance shall be as per University Ordinance governing the examinations. In general, attendance of at least seventy-five percent shall be required in each course to appear in the end semester examination.

For special reasons such as prolonged illness deficiency in the percentage of attendance in each course may be condoned by the Vice Chancellor.

26. Examination & Evaluation

Evaluation shall be based on continuous assessment, in which sessional work and the terminal examination shall contribute to the final grade. Sessional work shall consist of class tests, mid-semester examination(s), homework assignments, etc., as determined by the faculty in charge of the courses of study. Progress towards achievement of learning outcomes shall be assessed using the following: time-constrained examinations; closed-book and open-book tests; problem-based assignments; practical assignment laboratory reports; observation of practical skills; individual project reports (case-study reports); team project reports; oral presentations.

including seminar presentation; viva voce interviews; computerized adaptive assessment, examination on demand, modular certifications, etc.

Each course shall correspond to an examination paper comprising of external and internal evaluations. The semester end theory examinations for Major, Minor, Open/Generic and DSC (Discipline specific Course) vocational, value added, SEC (Skill Enhancement Course) and AEC (Ability Enhancement Course) shall be of a duration as promulgated through the examination's regulations approved by the Academic Council of the University. The credit structure for theory/Practical/tutorial, internal, external examinations and total marks for an examination shall be as per the programme structure approved by the Academic Council of the University as per UGC norms. Students shall acquire a minimum passing mark in internal and external examinations separately to be declared as pass in the respective courses, as prescribed by the Academic Council.

- 26.1 The academic performance of a candidate shall be evaluated in respect of the courses of study prescribed for each semester through the evaluation. The evaluation of students admitted in the programme shall be based on
 - 26.1.1 End Semester Examinations 70% marks of total marks and
 - 26.1.2 Continuous Internal Assessment 30% of total marks
- 26.2 The End Semester examinations shall be held as per the academic calendar notified by the University and the duration of end semester examination shall be of three or two hours.
- 26.3 The minimum percentage of marks to pass the programme in each semester shall be 40% in each course comprising of end semester examinations and continuous evaluation.
- 26.4 A programme shall have a specified number of credits in each semester. The number of credits along with grade points that the student has satisfactorily cleared shall measure the performance of the student.
- 26.5 Semester examination results shall have following categories:
 - 26.5.1 Passed, i.e., those who have passed in all courses of the semester examination in internal and external examination separately.
 - 26.5.2 Promoted (ATKT), i.e., those who have earned minimum 50% of credits in a particular year including both the semesters (even and odd) or those who have earned any number of credit in odd semester.
 - 26.5.3 Detained, i.e., those who are not promoted as per the above provisions shall be detained. Such students have to appear in the examination of next academic session to

earn required credits (excluding the credits already earned) as per the provisions of this ordinance and only then he/she may continue the programme within stipulated period as per the provisions of this ordinance.

26.6 However, a student of any semester who has been detained/ not appeared in examination due to less attendance/ not applied for examination/ applied but not appeared shall be out from the programme. Such a student has to take admission in the next session as an exstudent through the procedure adopted/notified by the University.

27. Continuous Internal Assessment

- 27.1 Continuous Internal Assessment shall be of 30% marks of total marks allotted for the course.
- 27.2 The components for continuous internal assessment for each course shall be decided by the Board of Studies of concerned subject.
- 27.3 Continuous Internal assessment shall be carried forward in case of ATKT students, there shall not be any provision of conducting internal assessment tests for ATKT students at any circumstances.

28 Evaluation and Certification of MOOCS and Vocational Courses:

The guidelines of the University/SWAYAM portal/UGC shall be followed for evaluation and certification of MOOCs, Vocational Courses, Field Projects/ Internship/ Apprenticeship/ Community engagement and service/ Research Project.

29. Letter Grades and Grade Points

The Semester Grade Point Average (SGPA) is computed from the grades as a measure of the student's performance in a given semester. The SGPA is based on the grades of the current term, while the Cumulative GPA (CGPA) is based on the grades in all courses taken after joining the programme of study.

The HEIs may also mention marks obtained in each course and a weighted average of marks based on marks obtained in all the semesters taken together for the benefit of students.

PT 1 1		~ *		~
l ab	0-4.	(-rad	ma N	System
Law		Viau	mg .	Jystem

Letter Grade	Grade Points	Description	Range of Marks (%)
0	10	Outstanding	>90 to <=100
A+	9	Excellent	>80 to <=90
A	8	Very Good	>70 to <=80
B+	7	Good	>60 to <=70

В	6	Above Average	>50 to <=60 >40 to <=50 =40 <40	
С	5	Average		
P	4	Pass		
F	0	Fail		
Ab	0	Absent	Absent	

Computation of SGPA and CGPA

UGC recommends the following procedure to compute the Semester Grade Point Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA):

i. The SGPA is the ratio of the sum of the product of the number of credits with the grade points scored by a student in all the courses taken by a student and the sum of the number of credits of all the courses undergone by a student, i.e.

SGPA (Si) =
$$\sum$$
 (Ci x Gi) / \sum Ci

Where Ci is the number of credits of the ith course and Gi is the grade point scored by the student in the ith course.

Example for Computation of SGPA

Semester	Course	Credit	Letter Grade	Grade point	(Credit x Grade)
1	Course 1	3	A	8	3 x 8 = 24
1	Course 1	4	B+	7	4 x 7 = 28
1	Course 1	3	В	6	3 x 6 = 18
1	Course 1	3	0	10	3 x 10 = 30
1	Course 1	3	С	5	3 x 5 = 15
1	Course 1	4	В	6	4 x 6 = 24
		20			139
	1	SC	3PA		139/20=6.95

ii. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is also calculated in the same manner taking into account all the courses undergone by a student over all the semesters of a programme, i.e.

$$CGPA = \sum (Ci \times Si) / \sum Ci$$

where Si is the SGPA of the ith semester and Ci is the total number of credits in that semester.

Example for Computation of CGPA

Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
Credit 20	Credit 20	Credit 20	Credit 20
SGPA 6.9	SGPA 7.8	SGPA 5.6	SGPA 6.0

CGPA= $(20 \times 6.9 + 20 \times 7.8 + 20 \times 5.6 + 20 \times 6.0)/80 = 6.6$

The SGPA and CGPA shall be rounded off to 2 decimal points and reported in the transcripts.

On completing all requirements for the award of the undergraduate certificate/diploma/ degree, the CGPA shall be calculated, and this value shall be indicated on the certificate /diploma/degree. The 3-years (6 semester) and 4-years (8 semester) undergraduate degrees should also indicate the Division obtained as per **Table 4**:

Table 4: Distribution of Divisions

Division	Criterion				
First division with distinction	The candidate has earned minimum number of credits for the award of the degree with CGPA of 7.5 or above				
First division	The candidate has earned minimum number of credits required for the award of the degree with CGPA of 6.0 above but less than 7.5				
Second division	The candidate has earned minimum number of credits required for the award of the degree with CGPA of 4.5 or above but less than 6.0				
Third Division	The candidate has earned minimum number of credits required for the award of the degree with CGPA of 4.00 or above but less than 4.5				

Note:- The conversion of CGPA into percentage shall be as followed to facilitate its application in other academic matters.

Equivalent Percentage = CGPA×10. The percentage shall be rounded off up to the second decimal point.

The candidate shall be awarded a certificate/diploma/degree when he/she successfully earns the minimum required credits for the certificate/diploma/degree.

30. Promotion Rule

30.1 A Student shall be promoted and may take admission in the 2nd semester immediately after the 1st semester end examination irrespective of any number of back papers.

- 30.2 A student may take admission in the 3rd semester provisionally, immediately after the 2nd semester end examination and his/her admission shall be confirmed and she/he shall be promoted to the 3rd semester provided he/she has earned minimum 50% credits including both 1st and 2nd semesters.
- 30.3 A student shall be promoted and may take admission in the 4th semester immediately after the 3rd semester irrespective of any number of back papers in 3rd semester.
- 30.4 A Student may take admission in the 5th semester provisionally, immediately after the 4th Semester examination and his/her admission shall be confirmed and he/she shall be promoted to the 5th semester provided he/she has earned minimum 50% credits including both 3rd and 4th semesters, Further student must clear all the papers of 1st and 2nd semesters
- 30.5 A student shall be promoted and may take admission in the 6th semester immediately after the 5th semester with any number of back papers.
- 30.6 Examinations of back papers of odd semesters shall be conducted along with odd semesters end examinations, similarly examinations of back papers of even semesters shall be conducted along with even semester end examinations.
- 30.7 Further, a special examination of the 5th semester shall be conducted along with the 6th semester for the students who have cleared all the papers till 4" semester.
- 30.8 A special examination of the 6th semester shall be conducted after the declaration of end semester result; those students having back papers only in the 6th semester shall be eligible to appear in this special examination.
- 30.9 A student may take admission in the 7th semester (Fourth year of UG) only after clearing all the semesters up to the 6th semester.
- 30.10 A student shall be promoted and may take admission in 8th semester (Fourth year of UG) provisionally, immediately after the 7th semester examination irrespective of number of back papers in the 7th semester. Further, a special examination of the 7th semester shall be conducted along with the 8th semester for clearing the back papers of 7th semester.
- 30.11 A special examination of the 8th semester shall be conducted soon after declaration of the semester results. Any student having back papers in 8th semester shall be eligible to appear in this special examination.
- 30.12 A student may choose honours course in the fourth year before the commencement of the fourth year by applying for the same, in a manner laid down for the same. A fouryear UG Honours degree in the major discipline shall be awarded to those who complete

a four-year degree programme with greater or equal to 160 credits as per Table 5.

- 30.13 Further students who secure 75% marks or above or equivalent 7.5 CGPA in the first six semesters and wish to undertake research at the undergraduate level can choose a research stream in the fourth year. They should do a research project or dissertation under the guidance of a faculty member of the department. The research project/dissertation shall be in the major discipline. The research outcomes of their project work may be published in peer-reviewed journals or may be-presented in conferences/ seminars or may be patented.
- 30.14 In case a student is detained or not promoted to higher semester, he/she shall be held up till the backlog papers are cleared for which he/she can take attempt in the next appropriate examination provided that the same is done within the maximum duration allowed for the programme. Continuous internal assessment marks of such students shall be carried forward for the corresponding course in which he/she is appearing.
- 30.15 For counting 50% credits both theory as well as practical courses shall be considered and 0.5 shall be rounded up.

31. Issue of Transcript

Based on the recommendations on Letter grades, grade points and SGPA and CGPA, the university shall issue the transcript for each semester and a consolidated transcript indicating the performance in all semesters.

32. Credit Transfer

- 32.1 The credit transfer shall be implemented as per the policy of the University framed in accordance with the guidelines issued by the UGC from time to time.
- 32.2 The member institutions of the Academic Bank of Credit established vide University Grants Commission (Establishment and Operation of Academic Bank of Credits in Higher Education) Regulations 2021 shall accept and transfer the credits as per the provisions of this regulation as amended from time to time.
- 32.3 Except for the cases of provisional promotions, the university shall facilitate credit transfer of students between them However, the student may be required to fulfil some eligibility criteria, drawing parity for a course, framed by the University in which the student seeks admission.
- 33. If any question arises relating to the interpretation of the provisions of this ordinance, it shall be referred to the Board of Management for discussion and recommendations.

- 34. The guidelines, related to this programme, issued from time to time by the statutory bodies e.g., UGC or any other relevant regulatory body shall be adopted for implementation.
- 35. In matters not covered under this Ordinance, general rules and regulations of the University shall be applicable.
- 36. If UGC notifies any change in future in its Regulations in this regard, the same shall be incorporated in the existing Ordinance with the approval by the Academic Council and Board of Management of the University.
- 37. Notwithstanding the above, the University shall ensure that the study programme leading to degree/diploma/certificate shall confirm, to the standard set by the relevant regulations and norms of the UGC or the relevant statutory body.

38. General

- 38.1 There shall not be any provision for repeat or improvement of the programme, once student has cleared it.
- 38.2 There shall not be any provision of revaluation. However, re-totaling is permissible as per the University rule.
- 38.3 Exit options shall be available only at the end of even semesters and entry options shall he available only in the beginning of odd semesters with the prevailing syllabus.
- 38.4 If the candidate appears for 2nd semester end examination and discontinued for 3rd semester and wishes to take admission for 4th semester in future, such candidates shall not be allowed for 4th semester. Such candidate shall again seek admission to 3rd semester as per University regulation. This is also applicable to other odd semesters.
- 38.5 Any points related to NHEQF not covered under this ordinance shall be as prescribed by the University through its ordinance/regulation/guidelines from time to time.
- 38.6 If any question arises related to the matters not covered in the ordinance, the relevant provisions made in the ordinance/ statutes of the university or UGC shall be applicable.
- 38.7 Any points related to ABC and multiple entry and exit which are not covered in this ordinance shall be dealt with as per the regulations of the University in accordance with the provisions of UGC guidelines/ regulations issued by, from time to time.
- In case of any dispute on interpretation of the ordinance, the English version shall be considered as binding.
- 40. The exiting Ordinances related to the programmes mentioned in this Ordinance shall be repelled with the implementation of this Ordinance from the session 2024-25.

Sem este r	Core (DSC)	Electiv e (DES)	Generic Elective (GE)	Ability Enhanc ement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Intern ship/ Appre ntices hip/Pr oject (2)	Value addition Course (VAC)	Total Credits
I	Discipline A-1(4) Discipline B-1(4) Discipline C-1(4)		Choose one from a pool of courses GE-1 (4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
п	Discipline A-2(4) Discipline B-2(4) Discipline C-2(4)		Choose one from a pool of courses GE-2 (4)	Choose	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
					ated (in the Field of Mu	ltidiscipli	nary study	Total = 44 Credits
III	Discipline A-3(4) Discipline B-3(4) Discipline	of courses DSE A/B/C (4) ine Or Choose one from a pool		Choose one from a pool of AEC	Choose one SEC OR Internship/Apprentices ect/community outreac		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
	C-3(4)		2017	courses (2)				
IV	The state of the s	of course Or Choose	one from a pool s DSE A/B/C (4) one from a pool s GE-4(4)	Choose one from a pool of AEC courses	Choose one SEC OR Internship/Apprentices ect/community outreac	12 (4 TO 14 TO 15	Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
Stude	C-3(4) Discipline A-4(4) Discipline B-4(4) Discipline C-4(4) onts on exit s	of course Or Choose of of course	s DSE A/B/C (4) one from a pool s GE-4(4)	(2) Choose one from a pool of AEC courses (2) ate certifica	Internship/Apprentices, ect/community outread	h (2)	one from a pool of courses (2)	22 Credits Total = 88 Credits

	C-5(4)	DSE A/B/C (4)					
	Discipline A-6(4)	Choose one	Choose one from a pool of	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Pro	j	22 Credits	
VI	Discipline B-6(4)	from a pool of	ASS - A TOTAL -	ect/community outreach (2)			
VI	Discipline course C-6(4) DSE A/B/0						
			awarded Bachelor of (edits on completion of se	n the Field of Multidisciplinary emester VI	study) after	Total = 132 Credits	
VII	DSC-(4)	courses C Choose and one C Choose of GE(4) co	two DSE (2x4) GE(4) course OR one DSE and two ourses OR e GE 7,8 & 9	Majo Disse Mino Acad proje	rtation on r (4+2) OR rtation on r (4+2) OR emic ct/Entreprene p(4+2)	22 Credits	
VIII	DSC-(4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE (2x4) and one GE(4) course OR Choose one DSE and two GE(4) courses OR All three GE 10,11 & 12 (Total=12)		Majo Disse Mino Acad proje	rtation on r (4+2) OR rtation on r (4+2) OR emic et/Entreprene p(4+2)	22 Credits	
Stude	nts on exit sl		6	e Field of Multidisciplinary study)	(Honours or	Total = 176	

University Logo

SAMPLE COPY FOR FIRST TO FIFTH

ANNEXURE-S-1

Logo in water mark.

Name of the University -----

GRADE SHEET

Name of the Institute Address of the Institute Name of the Programme

Father's/Husband's Name	Mother's Name	
	CONTRACT DATE OF THE CONTRACT	
Name of the Student	Examination	
Enrollment No	Roll No.	
Batch	Year	

Programme Code	Programme Title	Credits	Grade	Grade Point	Credit Points (Credits x Grade Point)
	Programme 1	6	A	8	48
	Programme 2	- 6	C	.5	30
	Programme 3	4	B+	7	28
	Programme 4	4	0	10	40
TO	FAL.	20		-	146
SGPA		146/20			7.30

^{*}Grade in Repeat Examination

RESULT SEMESTER WISE							
SEMESTER	I	п	ш	IV	V		
TOTAL CREDITS							
OBTAINED CREDITS							
ADDITIONAL CREDITS							
SGPA							
ATTEMPT							
RESULT							

^{*}SGPA Semester Grade Point Average CGPA Cumulative Grade Point Average Equivalent Percentage = CGPAx10

Date of Result

Registrar / Controller Examination

University Logo

SAMPLE COPY FOR SIXTH

ANNEXURE-S-2

Logo in water mark

----- Name of the University ------

GRADE SHEET

Name of the Institute Address of the Institute Name of the Programme

Batch 2021-25			Year Roll No. Examination			
Enrollment No.						
Name of the St	ident					
Father's/Husbar	nd's Name		Mother's Name			
Programme Code	Programme Title	Credits	Grade	Grade Point	Credit Points (Credits x Grade Point)	
	Programme 1	6	A	8	48	
	Programme 2	6	C	.5	30	
	Programme 3	4	B+	7	28	
	Programme 4	4	0	10	40	
TOTAL		20			146	
SGPA		146/20		T	7.30	

Grade in Repeat Examination

	R	ESULT SEM	ESTER WISE		117
SEMESTER	1	п	ш	IV	V
TOTAL CREDITS					
OBTAINED CREDITS					
ADDITIONAL CREDITS					
SGPA					
ATTEMPT					
RESULT					
		FINAL RES	ULT PASS		
Total Credits		GPA	EQUIVALENT PERCENTAGE		DIVISION

CGPA Cumulative Grade Point Average Equivalent Percentage - CGPAx10

Date of Result

Registrar / Controller Examination

SAMPLE COPY FOR SEVENTH SEMESTER

ANNEXURE-S-3

University Logo

Logo in water mark

Name of the University

GRADE SHEET

Name of the Institute Address of the Institute Name of the Programme

Hatch 2021-25			Year			
			Roll No.			
Enrollment No.						
Name of the Stu	adent		Examination			
Father's/Husbar	nd's Name		Mother's Name			
Programme Code	Programme Title	Credits	Gnide	Grade Point	Credit Points (Credits x Grade Point)	
	Programme 1	6	A	8	48	
	Programme 2	6	C	5	30	
	Programme 3	4	B+	7	28	
	Programme 4	4	0	10	40	
TOTAL		20		-	146	
SGPA	SGPA			1	7.30	

*Grade in Repeat Examination

	RESULT SEMESTER WISE				
SEMESTER	1	п	m	IV	V
TOTAL CREDITS					7-1
OBTAINED CREDITS					
ADDITIONAL CREDITS					
SGPA					
ATTEMPT				- 5	
RESULT				1	

Total Credits	CGPA	EQUIVALENT PERCENTAGE	DIVISION		

SGPA Semester Grade Point Average

CGPA Cumulative Grade Point Average Equivalent Percentage = CGPAx10

Date of Result

Registrar / Controller Examination

University Logo

SAMPLE COPY FOR EIGHTH

ANNEXURE-S-4

Logo in water mark

----- Name of the University ------

GRADE SHEET

Name of the Institute

Address of the Institute

Name of the Programme

Batch 2021-25				Year			
Enrollment No.				Roll No.			
Name of the Student				Examination Mother's Name			
Father's/Husband's Name							
Programme Code	Programme Title	Credits	Grade	Grade Point	Credit Points (Credits x. Grade Point)		
	Programme 1	- 6	A	- 8	48		
	Programme 2	4	C	5	20		
	Programme 3	10	H+	7	70		
TOTAL.		20		-	138		
SGPA		138/20		1	6.90		

^{*}Grade in Repeat Examination

	RESULT SEMESTER WISE				
SEMESTER	1	11	III	IV	v
TOTAL CREDITS					
OBTAINED CREDITS					
ADDITIONAL CREDITS					
SGPA					
ATTEMPT					
RESULT					

SGPA Semester Grade Point Average

FINAL RESULT PASS				
Total Credits	CGPA	EQUIVALENT PERCENTAGE	DIVISION	

CGPA Cumulative Grade Point Average Equivalent Percentage = CGPAx10

Controller of Examination

Registrar